सतीश चंद्र यादव

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2022 की सिविल अपील संख्या 6955)

26 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

सेवा कानून-नियुक्ति-सूचना का दमन/सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करना-अपीलार्थियों को सेवा से बर्खास्त करना-की शुद्धता-आयोजितः 2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 20860 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलार्थी के मामले में, उसकी सेवाओं को समाप्त करने का कारण उस आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता नहीं थी जो तब लंबित था, और जिसमें उसे बाद में बरी कर दिया गया था, बल्कि यह तथ्य कि उसने सत्यापन प्रपत्र को भरते समय प्रासंगिक जानकारी को रोक दिया था-अपीलार्थी को सत्यापन प्रपत्र में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई थी-इसलिए, यदि जांच से पता चलता है कि दिए गए तथ्य गलत थे, तो प्रत्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

2021 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 5170 से उत्पन्न संबंधित अपील में, अपीलार्थी ने बर्खास्त किए जाने से पहले लगभग चार साल की सेवा दी थी, हालांकि उक्त अपील भी उसी पर विफल हो जाती है। तर्क-केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 आर। 5 सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 - आर. 27।

सेवा कानून-नियुक्ति-सार्वजनिक रोजगार-आपराधिक पूर्वज सूचना का दमन या गलत प्रस्तुत करना

सत्यापन प्रपत्र में जानकारी-ऐसे मुकदमों पर लागू किए जाने वाले कानून के सिद्धांत-आयोजितः प्रत्येक मामले की संबंधित लोक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से, अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता के विश्वास को प्रेरित करने की उनकी क्षमता एक सुरक्षा कवच है। समाज की सुरक्षा-ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई और सही घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, बरी कर दिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक आपराधिक मामले में पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार को स्वचालित रूप से हकदार नहीं बनाया जाएगा-यह अभी भी नियोक्ता के लिए पूर्ववृत्त पर विचार करने और यह जांचने के लिए खुला होगा कि क्या उम्मीदवार युवाओं, कैरियर की संभावनाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में सामान्यीकरण के पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित उपयुक्त और उपयुक्त है, जिससे अपराधियों के आचरण को माफ किया जा सकता है, न्यायिक निर्णय में प्रवेश नहीं करना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

सेवा कानून-नियुक्ति-सूचना का दमन/सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करना आपराधिक

आपराधिक मामले का अभियोजन, गिरफ्तारी या विचाराधीनता -

अवतार सिंह मामला-अवतार सिंह के बाद कानून की स्थिति-चर्चा की गई।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-के तहत अपील का दायरा

आयोजित किया गयाः जब तक, यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष

परिस्थितियाँ मौजूद हैं; कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और मामला और प्रश्न पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं

जिस निर्णय के खिलाफ अपील की गई है, उसकी समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रबलित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। अनुच्छेद 136 (1)-अनुच्छेद 136 के तहत निवेश की गई व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया जाना है। संयम से और केवल अपवादात्मक मामलों में।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. इस न्यायालय द्वारा कुछ समय के लिए दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर गौर करने का एकमात्र कारण यह है कि इस विषय को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत थोड़े असंगत हैं। अवतार सिंह के मामले में बड़ी पीठ के फैसले के बाद भी अलग-अलग अदालतों ने अलग-अलग बयान दिए हैं

सिद्धांत। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कानून के व्यापक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ अभ्यास किया है जिन्हें वर्तमान प्रकृति के मुकदमों पर लागू किया जाना चाहिए। सिद्धांत इस प्रकार हैंः

क) प्रत्येक मामले की संबंधित सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए-विशेष रूप से,

पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता के विश्वास को प्रेरित करने की उनकी क्षमता समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है। [राज कुमार को देखें]

ख) ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने किसी निष्कर्षित आपराधिक मामले की सच्चाई और सही घोषणा की है, नियोक्ता सतीश चंद्र यादव v.

भारत और ओआरएस का संघ।

अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को स्वतः ही पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह अभी भी नियोक्ता के लिए खुला होगा कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या संबंधित उम्मीदवार है पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त और उपयुक्त।

ग) गिरफ्तारी से संबंधित भौतिक जानकारी का दमन और सत्यापन प्रपत्र में गलत बयान देना, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि का कर्मचारी के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने अपनी योग्यता या पद के लिए उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी, तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

घ) युवाओं, करियर की संभावनाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में सामान्यीकरण जो अपराधियों के आचरण को माफ करने की ओर ले जाता है, न्यायिक फैसले में शामिल नहीं होना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

ङ) न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या संबंधित प्राधिकरण, जिसकी कार्रवाई को चुनौती दी जा रही है, ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है।

च) क्या निर्णय में पक्षपात का कोई तत्व है

सत्ता?

छ) क्या जांच की प्रक्रिया द्वारा अपनाया गया है

क्या संबंधित प्राधिकरण निष्पक्ष और तर्कसंगत था? [पारस 68,69] [586 जी-एच; 587-ए-जी]

अवतार सिंह बनाम। भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471: [2016] 7 एस. सी. आर. 445; पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार, (2021) 8 एस. सी. सी. 347-संदर्भित।

2. संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है।

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण को छोड़कर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी मामले या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति देने के लिए न्यायालय। अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र दो चरणों में विभाजित हैः पहला चरण अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना के निपटारे तक है और दूसरा चरण शुरू होता है, [2022] 10 एस. सी. आर.

यदि और कब, अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार, उपरोक्त से स्पष्ट कानून के सिद्धांत यह हैं कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं; गंभीर अन्याय किया गया है और जिस मामले और प्रश्न के खिलाफ अपील किए गए निर्णय की समीक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के तहत अपनी प्रबल शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। जिस व्यापक विवेकाधीन शक्ति के साथ इस न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत निवेश किया गया है, उसका प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में किया जाना है।

[पारस 70,71 और 75] [587-जी-एच; 588-सी-डी; 592-ई-एफ]

प्रीतम सिंह बनाम। राज्य, आकाशवाणी 1950 एस. सी. 169: [1950] एससीआर 453; पी. एस. आर. साधनानथम बनाम अरुणाचलम और एक अन्य, (1980) 3 एस. सी. सी. 141: [1980] 2 इसके बाद एस. सी. आर. 873 आया।

महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड, (2019) 4 एससीसी 376: [2019] 3 एस. सी. आर. 411; हेम राज, बिजैनगर के देवीलाल महाजन का पुत्र, दोषी ठहराए गए कैदी, वर्तमान में केंद्रीय जेल, अजमेर बनाम में बंद है। अजमेर राज्य, ए. आई. आर 1954 एस. सी 462: [1954] एससीआर 1133-निर्भर

पर।

3.1 जहाँ तक 'एससीवाई' द्वारा दायर 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20860 से उत्पन्न अपील का संबंध है, वह विफल हो जानी चाहिए। यह न्यायालय प्रत्यर्थी को यह सूचित करने के लिए 'एससीवाई' द्वारा सामने रखे गए मामले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि सत्यापन प्रपत्र भरने की तारीख को उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था। एस. सी. वाई. द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण और कुछ नहीं बल्कि एक आपराधिक मामले के अभियोजन और विचाराधीनता के बारे में उनकी अपनी समझ है। यदि वह जानता है कि मुकदमा माना जाता है

आरोप तय करने के साथ शुरुआत की है, फिर वह जानता है और समझता है कि आपराधिक अभियोजन क्या है। निर्विवाद रूप से, उस समय 'एससीवाई' अभी भी परिवीक्षाधीन था, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि 'एससीवाई' को दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई थी सत्यापन प्रपत्र में। इसलिए, यदि एक जांच से पता चला कि सतीश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

दिए गए तथ्य गलत थे, इसमें प्रत्यर्थी अपीलार्थी 'एससीवाई' की सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि

इस स्तर पर किसी भी कलंक और दंडात्मक परिणाम का सवाल ही नहीं उठेगा। यह दोहराया जाता है कि अपीलार्थी 'एस. सी. वाई.' की सेवाओं को समाप्त करने का कारण उस आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता नहीं है जो तब लंबित था, और जिसमें उसे बाद में बरी कर दिया गया था, बल्कि यह तथ्य है कि उसने रोक लिया था।

सत्यापन प्रपत्र भरते समय प्रासंगिक जानकारी। कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन या प्रदर्शन किया था जिसने प्रतिवादी के विश्वास को हिला दिया था। प्रशासनिक कानून ने पारंपरिक रूप से इन रूप में वर्गीकृत निर्णयों की समीक्षा से संपर्क किया है कानून के नियमों की व्याख्या को शामिल करने के रूप में देखे जाने वाले लोगों से अलग विवेकाधीन। नियम यह रहा है कि निर्णय

विचार करें। कभी-कभी विवेकाधीन निर्णयों पर "अनुचितता" का एक सामान्य सिद्धांत भी लागू किया गया है। इन सिद्धांतों में दो केंद्रीय विचार शामिल हैं-वे विवेकाधीन विचार। निर्णय, अन्य सभी प्रशासनिक निर्णयों की तरह, वैधानिक द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर किए जाने चाहिए।

नियम, लेकिन उस विवेकाधिकार के प्रयोग की समीक्षा करने और निर्णय निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र के दायरे को निर्धारित करने में अदालतों द्वारा निर्णय निर्माताओं को काफी सम्मान दिया जाएगा। ये सिद्धांत मानते हैं कि प्रशासनिक एजेंसियों को व्यापक विकल्प प्रदान करने वाली सांविधिक भाषा का उपयोग करते समय यह एक विधायिका का इरादा है कि अदालतों को ऐसे निर्णयों में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और निर्णय निर्माताओं को काफी सम्मान देना चाहिए। हालाँकि, विवेकाधिकार का प्रयोग अभी भी इस तरीके से किया जाना चाहिए जो विधायिका द्वारा विचार किए गए पैंतरेबाज़ी के अंतर की उचित व्याख्या के भीतर हो। कानून के शासन के सिद्धांत। [पारस 76-78] [592-F-H; 593-A G]

3.2 विद्वान ए. एस. जी. ने ठीक ही केंद्रीय विद्यालय पर भरोसा किया है

संगठन जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक कर्मचारी से अभियोजन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता का उद्देश्य / सत्यापन प्रपत्र में दोषसिद्धि आदि रोजगार और निरंतरता [2022] 10 एस. सी. आर. के उद्देश्य से उनके चरित्र और पूर्ववृत्तियों का आकलन करना था।

एक परिवीक्षाधीन जो एक भौतिक तथ्य (एक आपराधिक मामले में शामिल होने के बारे में, नियोक्ता को दी गई व्यक्तिगत जानकारी में) को दबाता है, वह परिवीक्षाधीन के रूप में बने रहने के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त मामले में टिप्पणियां द्वारा दायर अपील पर पूरी तरह से लागू होती हैं। ' एससीवाई '। यह अपीलार्थी 'एससीवाई' की ओर से प्रासंगिक जानकारी को रोकने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था और यह चूक ही है जिसके कारण परिवीक्षा के दौरान उनकी सेवा समाप्त हो गई है।

अवधि। जहां तक 'पी. के. वाई.' द्वारा दायर 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 5170 से उत्पन्न संबंधित अपील का संबंध है, वह भी उसी तर्क पर विफल रहती है। अपीलार्थी 'पी. के. वाई.' के मामले में एकमात्र अंतर यह है कि उसने बर्खास्त होने से पहले लगभग चार साल की सेवा की थी। [पारस 79-82] [593-H; 594-A-F]

केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम। राम रतन

यादव, (2003) 3 एससीसी 437: [2003] 2 एससीआर 361-निर्भर

पर।

भारत संघ और अन्य बनाम। मेथु मेदा, (2022) 1 एस. सी. सी. 1; भारत संघ और अन्य बनाम। एम. भास्करन, आकाशवाणी (1996) एससी 686: [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 526; दिल्ली प्रशासन, v. सुशील कुमार (1996) 11 एस. सी. सी. 605: [1996] 7 पूरक। एससीआर 199; कमल नयन मिश्रा बनाम। मध्य प्रदेश और अन्य राज्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 169:

[2009] 16 एससीआर 237; आर. राधाकृष्णन बनाम। पुलिस महानिदेशक और अन्य (2008) 1 एस. सी. सी. 660:

[2007] 11 एस. सी. आर. 456; भारत संघ और अन्य बनाम। बिपाद भंजन गायेन, (2008) 11 एस. सी. सी. 314 [2008] 8 एस. सी. आर. 99 ; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। दिनेश कुमार (2008) (3) एससीसी 222: [2008] 1 एससीआर 281; दया शंकर यादव सतीश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

वी. भारत संघ और अन्य, (2010) 14 एस. सी. सी. 103:

[2010] 13 एस. सी. आर. 1076; पुलिस आयुक्त और

अन्य। वी. संदीप कुमार (2011) 4 एससीसी 644: [2011]

3 एस. सी. आर. 964; जैनेंद्र सिंह बनाम यू. पी. राज्य त्रि. प्रिंल।

सेक. घर और अन्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 748: [2012] 6

एस. सी. आर. 1047; अवतार सिंह बनाम। भारत संघ और अन्य,

(2016) 8 एससीसी 471 [2016] 7 एससीआर 445; आयुक्त

पुलिस, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम। मेहर सिंह,

(2013) 7 एससीसी 685: [2013] 13 एससीआर 432; संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम।

वी. बंटी, (2020) 17 एससीसी 654; राजस्थान राज्य और अन्य वी। लव कुश मीना, (2021) 8 एस. सी. सी. 774; यूनियन

भारत का (यू. ओ. आई.) v. दिलीप कुमार मलिक, (2022) 6 स्केल

108 ; पवन कुमार बनाम। भारत संघ (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 532; राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारन

निगम लिमिटेड और एक अन्य वी। अनिल कंवरिया, (2021)

10 एस. सी. सी. 136; मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य

और अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 696-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 7 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1995] 4 पूरक। एससीआर 526

संदर्भित किया गया है

पै

रा 37

[1996] 7 पूरक। एससीआर 199

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर 361

उस पर भरोसा करें

पै

रा 40

[2009] 16 एससीआर 237

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2007] 11 एससीआर 456

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2008] 8 एससीआर 99

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2008] 1 एससीआर 281

पै

रा 46

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर 1076

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[2011] 3 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[2012] 6 एससीआर 1047

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

[2016] 7 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

[2013] 13 एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[2018] 1 एससीआर 112

पैरा 58

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पैरा 71

[2019] 3 एससीआर 411

उस पर भरोसा करें

पैरा 71

[1950] एससीआर 453

पैरा 72

पीछा किया।

[1954] एससीआर 1133

उस पर भरोसा करें

पैरा 73

[1980] 2 एससीआर 873

पीछा किया।

पैरा 74

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6955

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 15.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की लिखित याचिका (सी) No.1167 में नई दिल्ली में।

के साथ 2022
की सिविल अपील No.6956।

सुश्री ज्योति दत्त शर्मा, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, सी. के. भट्ट,

हिमांशु गौतम, एम. एम. सिंह, जितेंद्र कुमार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, मेरुसागर सामंत्रे, सुश्री बी. सुनीता

राव, सुश्री निधि खन्ना, राघव शर्मा, ए. के. शर्मा, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.:

1. छुट्टी दे दी गई।

2. चूँकि दोनों शीर्षक मामलों में उठाए गए मुद्दे लगभग हैं

समान और लागू होने वाले कानून के सिद्धांत भी समान हैं, जो समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. हम सबसे पहले विशेष अनुमति से उत्पन्न अपील को लेते हैं।

2019 की याचिका (सिविल) संख्या 20860।

2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20860

4. यह अपील एक असफल रिट आवेदक के कहने पर की गई है।

सतीश चंद्र यादव बनाम में दायर 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 1167 होने के कारण एक रिट आवेदन।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

दिल्ली उच्च न्यायालय और दिनांक 1 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित किया जाता है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट आवेदक (इसमें अपीलार्थी) द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे अपीलार्थी को सी. आर. पी. एफ. के साथ कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के रूप में सेवा से बर्खास्त करने की पुष्टि होती है।

5. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

इसके अंतर्गतः

5.1 अपीलार्थी सी. आर. पी. एफ. में सिपाही (जनरल ड्यूटी) के रूप में कार्यरत था। उन्हें एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया था

28.07.2014 पर सी. आर. पी. एफ. में सिपाही (जी. डी.) का पद। बुनियादी प्रशिक्षण से गुजरने के बाद, उन्होंने 17.12.2015 पर 17 वीं बटालियन में रिपोर्ट किया।

5.2 प्रश्न के उत्तर में कॉलम 12 में सीआरपीएफ में उनकी भर्ती के समय आवश्यक सत्यापन फॉर्म-25 को भरते समय

क्या उसके खिलाफ कोई मामला लंबित था, अपीलार्थी ने नकारात्मक जवाब दिया।

5.3 इसके बाद, सी. आर. पी. एफ. नियमों के नियम 14 के तहत, अपीलार्थी के चरित्र और पूर्वजों के सत्यापन प्रपत्र को

कलेक्टर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। कलेक्टर ने अपने दिनांकित 25.02.2015 के पत्र के माध्यम से पुलिस उप महानिरीक्षक (डी. आई. जी. पी.), समूह केंद्र, सी. आर. पी. एफ. रामपुर को सूचित किया कि 2008 का आपराधिक मामला संख्या 1015 अपीलार्थी के खिलाफ पी. एस. खलीलाबाद संत कबीर नगर, पुलिस स्टेशन में अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 147,323,324,504 और 506 के तहत दंडनीय (संक्षेप में, "आई. पी. सी".)। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर, केंद्रीय सिविल के नियम 5 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

5.4 अपीलार्थी द्वारा महानिरीक्षक (आई. जी.) को संबोधित आगे की अपील को भी खारिज कर दिया गया। 5.5 अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 10558 दायर करके सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। उक्त रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा 25.09.2017 पर किया गया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मामले को संशोधन प्राधिकरण को नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.6 इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अभ्यावेदन अंततः आया।

अस्वीकार कर दिया गया और एक नया आदेश दिनांकित 05.01.2018 दोहराया गया

अपीलार्थी की सेवाओं का राष्ट्र पारित किया गया था।

5.7 अपीलार्थी ने एक बार फिर एक नई रिट याचिका को प्राथमिकता दी

ओ। 1167 2018 का दिनांकित 05.01.2018 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देना

अपनी सेवाएँ देते हैं।

5.8 उच्च न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया

. 2019 निम्नलिखित रूप में धारण करनाः

" 9. तथ्य यह है कि एफ. आई. आर. सं. 1015/2008 दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ पी. एस. खलीलाबाद में और उसके अधीन रखा गया

धारा 147/323/324 504/506 आई. पी. सी. मान लीजिए, याचिकाकर्ता

उपरोक्त आपराधिक मामले में जमानत मिली जो संज्ञेय के लिए थी

अपराध। इसलिए यह मामला नहीं है जहां दाखिल करने का समय है

सत्यापन प्रपत्र से ऊपर-25 याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी

उसके खिलाफ आपराधिक मामले की विचाराधीनता।

एक्स

एक्स

एक्स

11. वर्तमान मामले में, भरने की तारीख को

याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले का सत्यापन था बहुत कुछ लंबित है। तथ्य यह है कि आरोप पत्र था

फॉर्म भरने के बाद दाखिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

इस तथ्य के लिए कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर गलत जवाब दिया

इस सवाल पर कि क्या उनके खिलाफ कोई मामला लंबित था

याचिकाकर्ता। इसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता

अर्धसैनिक बल में सिपाही के पद के लिए आवेदन कर रहा है संगठन और सभी प्रतिक्रियाओं में ईमानदार होने की उम्मीद है

सत्यापन प्रपत्र में कॉलम। भरने के समय

उस रूप के बारे में याचिकाकर्ता को बहुत पता था

आपराधिक मामले की विचाराधीनता। इसलिए, कोई नहीं हो सकता है

के जवाब में सही उत्तर नहीं भरने के लिए बहाना कॉलम 12 के तहत प्रश्न।

12. उपरोक्त कारणों से, न्यायालय को कोई कारण नहीं मिलता है

डी. ए. के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करना जो था एए द्वारा पुष्टि की गई। "

6. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी यहाँ है

ई वर्तमान अपील के साथ यह न्यायालय।

सतीश चंद्र यादव बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री ज्योति दत्त शर्मा ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर अपराध किया है।

आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि। वह प्रस्तुत करेगी कि अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन बहुत ही तुच्छ प्रकृति का था। इसमें कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं थी। दमन, यदि बिल्कुल भी माना जाता है, तो अपने आप में, सार्वजनिक रोजगार से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को उस तारीख को आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जब सत्यापन प्रपत्र भरा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या दमन दोषी दिमाग के साथ था, सत्यापन/सत्यापन प्रपत्र बहुत विशिष्ट होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए ताकि

ऐसे प्रपत्र भरने वाले व्यक्ति को भ्रमित करना। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष थी। उसके और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पारिवारिक विवाद के कारण चलाया गया था। अपीलार्थी को उक्त मामले में झूठा आरोपी बनाया गया था। स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। अंततः, अपीलार्थी को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ निचली अदालत ने बरी कर दिया। 8. विद्वान वकील ने अवतार सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया। भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471 उनके इस निवेदन को मजबूत करने के लिए कि गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता को मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान देना चाहिए। उच्च न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजने के लिए इस तरह के विवेक और विचार के गैर-प्रयोग पर ध्यान दिया था। यह तर्क दिया गया कि नए सिरे से विचार करने पर भी, प्राधिकरण ने समाप्ति को दोहराते हुए वही गलती की।

9. अंत में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने में विफल रहा कि फॉर्म सी. आर. पी.-25

काफी अस्पष्ट था और आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी के बारे में विशिष्ट नहीं था। यह इस तरह की अस्पष्टता के कारण है कि अपीलार्थी प्रश्न को उचित तरीके से समझने में सक्षम नहीं था और उसी के अनुसार उत्तर दिया जिसे अब गलत जानकारी के रूप में माना जा रहा है।

10. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और अपीलार्थी को पूर्ण वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जा सकता है।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

11. दूसरी ओर, इस अपील का जोरदार विरोध किया गया है

सुश्री माधवी दीवान द्वारा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि, कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं की जा सकती है। वह प्रस्तुत करेगी कि अपीलार्थी भौतिक तथ्यों के "दमन" का दोषी है, जो अपने आप में उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। यह तर्क दिया गया था कि इसमें अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उसे गलत जानकारी प्रस्तुत करने या दूसरे शब्दों में, भौतिक तथ्यों को दबाने का दोषी पाया गया था। विद्वान ए. एस. जी. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने न केवल अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी को दबाया, बल्कि उस आपराधिक मामले के बारे में जानकारी को भी दबा दिया जो सत्यापन प्रपत्र भरने के समय उसके खिलाफ लंबित था।

12. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि इसमें अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों को सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने पर वे सभी बरी हो गए। विद्वान।

ए. एस. जी. ने अवतार सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विशेष रूप से, पैरा 38.4 में कहा कि संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखे जहां सत्यापन प्रपत्र भरने के समय दोषमुक्ति दर्ज नहीं की जाती है।

13. यह तर्क दिया गया था कि एक अनुशासित बल में जो अखंडता के उच्च मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है, भौतिक तथ्यों का दमन नहीं किया जा सकता है।

मुखरता से।

14. अंतिम में, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया कि उपयुक्तता से संबंधित मामलों में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा

यह निर्धारित करने की सीमा तक सीमित है कि क्या संबंधित प्राधिकरण ने द्वेष, मूर्खता या घोर अवैधता के साथ काम किया था। वह।

पुलिस आयुक्त बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत भरोसा रखा। राज कुमार, (2021) 8 एस. सी. सी. 347 उनकी इस दलील को मजबूत करने के लिए कि वर्तमान प्रकार के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। उन्होंने निम्नलिखित पर निर्भरता रखी:

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

" 28. न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय किसी भी सार्वजनिक पद या पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

द्वेष या मूर्खता (सामग्री के लिए), या सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा अवैधता का अभाव, आतिश चंद्र यादव बनाम पर एक गहन जांच।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एक उम्मीदवार को अयोग्य के रूप में क्यों बाहर रखा जाता है जो अदालतों को प्रस्तुत करता है ' कार्यकारी शक्ति में अतिक्रमण के आरोप में निर्णय संदिग्ध

नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करना। इस न्यायालय ने एम. वी. थिमैया बनाम में इस पर जोर दिया था। यूपीएससी

[एम. वी. थिमैया बनाम यूपीएससी, (2008) 2 एससीसी 119: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 409] जो निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः (एससीसी पीपी। 131 , 135-36 ,

पैरा 21 और 30)

" 21. अब चयन के संबंध में सवाल आता है।

उम्मीदवारों के लिए। आम तौर पर, की सिफारिशें चयन समिति को चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय इसके कि

दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक के गंभीर उल्लंघन का आधार

नियम। न्यायालय एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकते हैं -

चयन समिति की सिफारिशों की जांच करें

अपील की अदालत की तरह। यह विवेकाधिकार दिया गया है

केवल चयन समिति और अदालतें शायद ही कभी अदालत के रूप में बैठती हैं।

न ही उम्मीदवारों के चयन की जांच करने की अपील की जाती है

प्रत्येक उम्मीदवार की जांच करने का न्यायालय का कार्य और

अपनी राय दर्ज करें।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

31. लोक सेवा-किसी भी अन्य की तरह, यह मानती है कि राज्य

किसी उम्मीदवार को अनुमति प्राप्त प्रयास, आदि। ये, मोटे तौर पर गठन करते हैं प्रत्येक उम्मीदवार या आवेदक के लिए आवश्यक पात्रता शर्तें

लोक सेवा में प्रवेश करने की इच्छा। न्यायिक समीक्षा, के तहत संविधान, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमत है कि वे मानदंड हैं

निष्पक्ष और उचित, और निष्पक्ष रूप से लागू, एक गैर में

भेदभावपूर्ण तरीके से। हालांकि, उपयुक्तता पूरी तरह से है

अलग; सार्वजनिक नियोक्ता की स्वायत्तता या पसंद, है

सबसे बड़ा, जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो है

अवैध, अनुचित, या ईमानदारी की कमी "।

15. विद्वान ए. एस. जी. ने भी निर्णय पर पूरी तरह से भरोसा जताया

भारत संघ और अन्य के मामले में न्यायालय बनाम। मेथु मेदा,

2) 1 एस. सी. सी. 1, विशेष रूप से, निम्नलिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार हैः

" 17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों में,

पैरा 38.3,38.4 के अनुसार। 3 और अवतार सिंह मामले के 38.5 [अवतार [2022] 10 एस. सी. आर.

सिंह बनाम। भारत संघ, (2016) 8 एस. सी. सी. 471: (2016) 2 एससीसी (एल एंड एस) 425], यह स्पष्ट है कि नियोक्ता को सरकार के अनुसार उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार है।

निर्णय लेते समय आदेश/निर्देश/नियम

रोजगार में उम्मीदवार को शामिल करना। बरी करने पर

जघन्य/गंभीर अपराधों के संबंध में तकनीकी आधार प्रकृति, जो एक साफ बरी नहीं है, नियोक्ता के पास हो सकता है

उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का अधिकार

पूर्ववर्ती, और के रूप में उचित निर्णय ले सकते हैं कर्मचारी की निरंतरता। भले ही, सच्ची घोषणा हो

कर्मचारी द्वारा किए गए परीक्षण के बारे में,

फिर भी नियोक्ता को पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और

उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एएसजी

घ कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

17. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनकर

अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से जाने के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने कोई अपराध किया है

आक्षेपित आदेश पारित करने में?

18. निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं:

सत्यापन प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा भरा गया था

अ)

02.09.2014 .

इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

ख)

धारा 147,148,323,324,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए इसमें अपीलार्थी और अन्य

आई. पी. सी. का जवाब।

(ग)

नियमित जमानत के लिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के समक्ष समर्पण करने पर

(घ)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 06.06.2008 से प्रभावी न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और उन्हें सतीश चंद्र यादव बनाम को आदेश दिया गया।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

10.06.2008 पर जमानत पर रिहा किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि

जैसा कि दावा किया गया है, अपीलार्थी को वास्तव में सलाखों के पीछे नहीं रखा गया था

अपीलार्थी।

जाँच के अंत में, जाँच अधिकारी

ई)

मुख्य न्यायिक न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया

मजिस्ट्रेट जो आपराधिक मामला संख्या 1015 में समाप्त हुआ।

2008 से। इसमें अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्त मुकदमा चलाया गया और निर्णय और आदेश दिनांकित किया गया

13.01.2016 जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित

संत कबीर नागर को बरी कर दिया गया।

उस समय जब अपीलार्थी की सेवाएँ शुरू हुईं

च)

समाप्त हो गया, वह एक परिवीक्षाधीन था।

सत्यापन प्रपत्र में, विशेष रूप से खंड 12 में,

जी)

निम्नलिखित प्रश्न पाए जाते हैंः

" (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है?

हाँ/नहीं

(ख)

हाँ/नहीं

क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है?

हाँ/नहीं

क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है?

((ग)

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

क्या आपके खिलाफ कोई मामला किसी भी अदालत में हां/नहीं में लंबित है?

((i)

इस सत्यापन सूची को भरने के समय कानून का?

19. उपरोक्त सभी प्रश्नों के विरुद्ध, अपीलार्थी एक टिक लगाता है

" नहीं ", जैसा कि ऊपर बताया गया है।

20. संबंधित प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

अपीलार्थी ने न केवल इस तथ्य को दबा दिया था कि उसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, बल्कि इस तथ्य को भी दबा दिया था कि उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसने बदले में उसे नियमित जमानत पर रिहा कर दिया था। उन्होंने इस तथ्य को भी दबाया कि उनके खिलाफ 2008 का आपराधिक मामला संख्या 1015 दर्ज किया गया था और ऊपर बताए गए अपराधों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था।

21. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया गया था

इसमें यह कारण दिखाने के लिए कि उनकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जाँच के समापन पर अपीलार्थी को अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. अब हम 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5170 से उत्पन्न संबंधित अपील पर विचार करते हैं।

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5170।

23. यह अपील एक असफल रिट आवेदक के उदाहरण पर है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 9456 है और यह उस दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट आवेदक (यहां अपीलकर्ता) द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया था, जिससे अपीलकर्ता को उप निरीक्षक/जी. डी., 45 वीं बटालियन, सी. आर. पी. एफ. के रूप में सेवा से बर्खास्त करने की पुष्टि की गई थी।

24. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

इसके अंतर्गतः

24.1 इसमें अपीलार्थी एस. आई./जी. डी. के पद पर कार्यरत था।

सीआरपीएफ। 24.2 अगस्त, 2011 में, अपीलार्थी ने संघ की जनता द्वारा आवेदनों के आह्वान के अनुसार सीआरपीएफ में एस. आई. के पद के लिए आवेदन किया था।

सेवा आयोग। 24.3 उक्त आवेदन के हिस्से के रूप में, अपीलार्थी को सी. आर. पी.-25 सत्यापन प्रपत्र भरना आवश्यक था। अगस्त में फॉर्म भरते समय,

2011 , इस सवाल के जवाब में कि क्या उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उन्होंने ना में जवाब दिया।

24.4 अपीलार्थी को एस. आई. के रूप में सी. आर. पी. एफ. में शामिल किया गया।

24.5 अपीलार्थी को पुलिस उप महानिरीक्षक (डी. आई. जी. पी.), रामपुर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से दिनांक 19.11.2015 पर एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सी. आर. पी. एफ. अधिनियम की धारा 11 के तहत आरोप के अनुच्छेद (ए. ओ. सी.) पर जांच शुरू की जाएगी। सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 जो उनके खिलाफ बनाए गए थे। ए. ओ. सी. के बयान का अनुवादित संस्करण इस प्रकार हैः

" वह संख्या 115213628 एस. आई./जी. डी. पुष्पेंद्र कुमार यादव, सी /

45 बटालियन, सी. आर. पी. एफ., उप के पद पर काम करते हुए

निरीक्षक/जी. डी., बल के सदस्य होने के नाते, प्रतिबद्ध है

दुराचार और दुर्व्यवहार, जिसमें

भर्ती, कर्मियों ने कॉलम में पूर्वजों के सत्यापन प्रपत्र (सी. आर. पी. प्रपत्र-25) में गलत जानकारी दी सं. 12 (क और ख) कि कार्मिक सतीश चंद्र यादव बनाम के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

हालाँकि, किसी भी अदालत में कर्मियों की भर्ती से पहले, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. की धारा 147,149,323,325,504,506,307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। खजनी, जिला गोरखपुर (यूपी। कर्मचारी, उसके दौरान

भर्ती, ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी छुपाई है और विभाग को गुमराह किया है

गलत जानकारी देना, जो दंडनीय अपराध है

सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) और इसके नियम 27 के तहत

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 "।

24.6 दिनांक 23.09.2016 के एक आदेश द्वारा, डी. आई. जी. पी. के कार्यालय ने आवेदक पर सेवा से हटाने का जुर्माना लगाया।

24.7 विभागीय जाँच की गई जिसमें

अपीलार्थी ने अपना बचाव बयान प्रस्तुत किया। जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 45 वीं बटालियन के कमांडेंट को सौंप दी, जिन्होंने इसे उन्हें सौंप दिया।

डी. आई. जी.।

24.8 अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लेख में निम्नलिखित कारणों की पेशकश कीः

बचावः

(i) वह रामपुर में अपने खिलाफ एक मामले के लंबित होने के बारे में पूरी तरह से अनजान था क्योंकि वह "गाँव के बाहर पढ़ रहा था"। ((ii) जब वह कुछ सह-अभियुक्तों से मिला, तो उन्होंने उसे "आश्वासन" दिया कि आपराधिक मामले में समझौता हो गया है।

(iii) उन्हें कभी कोई समन नहीं मिला और न ही वे किसी के सामने पेश हुए।

अदालत।

(iv) वह सत्यापन प्रपत्र के 12 (ए) और (बी) की सामग्री का अर्थ नहीं समझ सके।

24.9 अपीलार्थी द्वारा रखे गए उपरोक्त कारणों और 12 (ए) और (बी) के कॉलम में दिए गए प्रश्नों के उनके जवाब पर विचार करने पर सत्यापन प्रपत्र, डी. आई. जी. पी., रामपुर ने दिनांकित 23.09.2016 आदेश के माध्यम से अपीलार्थी पर सेवा हटाने का जुर्माना लगाया।

24.10 पुलिस महानिरीक्षक (आई. जी. पी.), लखनऊ के कार्यालय में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया।

24.11 एस. डी. जी. के कार्यालय में अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई।

24.12 इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में 2018 की रिट याचिका संख्या 9456 के रूप में रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

सेवा से हटाने की कार्रवाई की वैधता और वैधता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24.13 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर निर्णय दिया और 04.02.2020 दिनांकित आदेश और आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया। द.

न्यायालय ने रिट आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहाः

" 26. न्यायालय ने उन सभी विवादित आदेशों का अवलोकन किया है, जिन्होंने याचिकाकर्ता के मामले से जुड़े तथ्यों पर ध्यान दिया है, जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, और याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के निर्णय पर पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तरदाताओं के अनुसार अवतार सिंह (उपरोक्त) में निर्णय उनकी पूर्ववृत्तियों के रूप में प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने के लिए आवश्यक था, यह असमर्थनीय है। याचिकाकर्ता के लिए यह माँग करने के लिए कि उत्तरदाता उसके बारे में विचार करें

से समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले पूर्ववर्ती

अवतार सिंह (ऊपर) के पैराग्राफ 34 (4) (सी) के अनुसार,

याचिकाकर्ता का बरी होना उससे पहले होना चाहिए था

नियुक्ति। मान लीजिए, याचिकाकर्ता का मामला इनमें से एक नहीं है उसकी नियुक्ति से पहले बरी होना।

27. किसी भी स्थिति में, डी. ए. के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा जांच रिपोर्ट में निष्कर्षों के खिलाफ अपने अभ्यावेदन में उठाए गए प्रत्येक तर्क को अस्वीकार करने के लिए विस्तृत कारण निर्धारित किए गए हैं। ए. ए., आर. ए. के साथ-साथ डी. जी., सी. आर. पी. एफ. के आदेश भी न केवल प्रत्येक निचले प्राधिकारी के निष्कर्षों को दोहराते हैं, बल्कि सी. आर. पी. एफ. अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए सेवा को हटाने के दंड की पुष्टि करने के लिए अपने कारण भी प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय ने,

इसलिए, याचिकाकर्ता के तर्क से आश्वस्त नहीं है

की ओर से "मन का गैर-अनुप्रयोग" का आरोप लगाते हुए

उत्तरदाता।

28. याचिकाकर्ता के इस कथन के संबंध में कि उत्तरदाताओं ने अज्ञात/छद्म नाम की शिकायतों से निपटने के लिए डीओपीटी के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में कई ओ. एम. जारी किए गए हैं, यह उल्लेख करने योग्य है, सबसे पहले,

कि 11 अक्टूबर, 2002 का ओ. एम. जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि की पूर्व सहमति

सीवीसी को ऐसी अनाम/छद्म शिकायतों में निहित सत्यापन योग्य तथ्यों पर गौर करने की आवश्यकता थी, तब से 26 नवंबर, 2014 को एक ओएम द्वारा वापस ले लिया गया है।

29. 18 अक्टूबर 2013 के ओ. एम. की ओर मुड़ते हुए, इसके पैराग्राफ 3 (iii) में कहा गया हैः

आतिश चंद्र यादव बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" (iii) यदि किसी शिकायत में सत्यापन योग्य आरोप हैं, तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सक्षम अधिकारियों की मंजूरी से ऐसी शिकायत का संज्ञान ले सकता है।

मंत्रालय/विभाग द्वारा उनके कार्य वितरण के अनुसार नामित किया जाने वाला प्राधिकरण। ऐसे मामलों में, शिकायत को पहले शिकायतकर्ता को स्वामित्व/अस्वीकार करने के लिए भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है

अनुस्मारक भेजा जाएगा। भेजने के बाद 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद अनुस्मारक, यदि अभी भी कुछ नहीं सुना जाता है, तो उक्त शिकायत

मंत्रालय द्वारा छद्म नाम के रूप में दाखिल किया जा सकता है /

विभाग "।

30. इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए पैराग्राफ का पालन नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में, उपरोक्त अनुच्छेद 3 (iii) विधि के लिए प्रावधान करता है। ऐसी शिकायत को "छद्म नाम" के रूप में दायर करने से पहले शिकायतकर्ता की पहचान का पता लगाने के लिए। मामले के रिकॉर्ड के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा एसपी, गोरखपुर के साथ पत्राचार में शामिल होकर ऐसा प्रयास किया गया था, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता की आपराधिक कार्यवाही में संलिप्तता निर्विवाद रूप से स्थापित की गई थी।

वास्तव में, याचिकाकर्ता ने इसके बाद कहीं भी मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। इसलिए, उत्तरदाताओं को केवल एक अप्रमाणित छद्म नाम पर भरोसा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही में शिकायत।

31. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी 2012 को जारी एक पत्र का उल्लेख किया जिसमें सीएपीएफएस में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों की घोषणा की गई थी।

उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले-इसका प्रभावः . ' उन्होंने विशेष रूप से उक्त दस्तावेज़ के पैरा 2 (iii) का उल्लेख किया जो सूचीबद्ध करता है।

ऐसे उदाहरण जहाँ उम्मीदवार पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उसके पहले परंतुक में कहा गया है कि "आगे यह प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार को उपरोक्त मामलों में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, यदि केवल एक प्राथमिकी दर्ज की गई है/मामला जांच के अधीन है और कोई आरोप नहीं बनाया गया है।

या तो एफ. आई. आर. या किसी भी अदालत में शिकायत पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में अगस्त 2011 में फॉर्म भरने के समय से, उनके खिलाफ केवल एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी तक आरोप नहीं लगाए गए हैं

तैयार किया गया, उपरोक्त परंतुक लागू होगा।

32. यह न्यायालय उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ है। उक्त नीति दिशानिर्देश उम्मीदवार को आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने से नहीं रोकते हैं। वास्तव में, यह अनुमान लगाया जाता है कि उम्मीदवार लंबित प्राथमिकी के बारे में सच्चा रहा है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया

महत्वपूर्ण प्रश्नों के सही उत्तर दें

उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। इसलिए, उपरोक्त पैरा 2 (iii) का परंतुक याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है।

33. उपरोक्त सभी कारणों से, न्यायालय याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है और इसे खारिज कर देता है।

25. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः

26. रिट आवेदक की ओर से पेश विद्वान वकील श्री एम. एम. सिंह ने जोरदार ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। वह प्रस्तुत करेगा कि अपराधी

अभियोजन में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं थी। उन्होंने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि वर्ष 2002 में जब आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया था, तब अपीलार्थी की आयु केवल 19 वर्ष थी और वह गाँव में भी नहीं रह रहा था क्योंकि वह किसी अन्य स्थान पर अपनी पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि चूंकि यह एक पारिवारिक विवाद था, इसलिए इसे हल किया गया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

27. उपरोक्त संदर्भ में, विद्वान वकील ने पेपर बुक के पृष्ठ 163 पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। पृष्ठ 163 पर दस्तावेज़ कागजी पुस्तक स्थानीय ग्राम पंचायत के समक्ष लिखित रूप में दर्ज एक समझौते के रूप में है जिस पर संबंधित पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" पंचायत द्वारा निपटान

हम, गाँव के निवासी राम प्रीत यादव पुत्र ईश्वरी यादव -

नकदाह, पुलिस थाना-खजनी, जिला-गोरखपुर आतिश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

..... फर्स्ट

पार्टी

और

हम, परमहंस यादव पुत्र स्वर्गीय राम बाली यादव पुत्र ग्राम नकदाह, पुलिस थाना-खजानी, जिला-गोरखपुर

..... दूसरा पक्ष

हम दोनों पक्ष एक ही गाँव के निवासी हैं और एक-दूसरे के साथ पट्टीदार हैं। हमारे घर के पास खलीहान की जमीन के मुद्दे पर और पैमाइश पर हमारे बीच 28.6.2002 पर झगड़ा हुआ था और भ्रम और गलतफहमी के कारण, मेरे प्रथम पक्ष ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अब हम दोनों पक्ष एक साथ बैठने के बाद 7.7.2002 पर पंचायत के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर रहे हैं। अब सब कुछ

हमारे बीच विवादों को पारस्परिक रूप से सुलझा लिया गया है। आई राम प्रीत यादव इस बारे में पहली पार्टी स्टेशन खजनी करती है।

कल पंचायती समझौता करेंगे और लिखित अनुरोध करेंगे कि 28.6.2002 पर हुई घटना के संबंध में आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हम दोनों पक्ष अदालत में मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हम दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से इस मुद्दे को सुलझा लिया है।

दूसरा पक्ष

फर्स्ट पार्टी

एस. डी./- परमहंस

एसडी/- राम प्रीत

राम प्रीत यादव

परमश यादव

गवाहः

1. रामवती 2. सुभाष चंद्र गुप्ता

3. अनिल कुमार गुप्ता 4. चंद्र भान

5. श्याम सुंदर

6. राम सागर

तारीखः 07.07.2002 "

28. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र अपीलार्थी को [2022] 10 एस. सी. आर. की तारीख से लगभग नौ साल की अवधि के बाद भरा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2002 में एफ. आई. आर. का पंजीकरण। चूँकि यह एक पारिवारिक विवाद था जिससे अंततः समझौता किया गया था, इसलिए अपीलार्थी पूरे समय इस धारणा में रहा कि आपराधिक मामले के संबंध में आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि निचली अदालत द्वारा 2011 में आरोप तय किया गया था, यानी प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से लगभग नौ साल बाद। पक्षकारों के बीच हुए समझौते को देखते हुए मुकदमे के परिणामस्वरूप अंततः बरी कर दिया गया।

29. विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी का प्रामाणिक रूप से मानना था कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, उसके और अन्य लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था।

30. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सत्यापन प्रपत्र भरने पर भी, अपीलार्थी के पिछले रिकॉर्ड को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापित किया गया था, जिन्होंने बदले में डी. आई. जी., सी. आर. पी. एफ. को दिनांकित 28.11.2011 पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 27.02.2015 पर, बृजेश यादव नाम के एक अज्ञात व्यक्ति (जिसका बाद में पता नहीं चला) ने मामले के लंबित होने के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिवादी/विभाग में शिकायत की। कि शिकायत विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी, और एक रिपोर्ट थी डी. आई. जी., सी. आर. पी. एफ. के कार्यालय द्वारा एस. एस. पी., गोरखपुर के कार्यालय से बुलाया गया। इसके अनुसरण में, एसएसपी गोरखपुर ने सर्कल अधिकारी, खजानी, गोरखपुर और सर्कल द्वारा जांच कराई।

अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी को सौंप दी। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि बृजेश यादव नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला और अपराध

मामला सं. 261/2002 समझौते के चरण में था लेकिन चूंकि आरोप पत्र दायर किया गया था, इसलिए यह अदालत में लंबित था। एस. एस. पी. गोरखपुर ने डी. आई. जी. सी. आर. पी. एफ. को रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने आगे बताया कि 28.07.2015 , अपीलार्थी को एल. डी. द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर ने अपराध मामले संख्या 261/2002 में गुण-दोष पर निर्णय और दिनांक 28.07.2015 के आदेश को देखा।

31. विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने अत्यंत ईमानदारी और निष्ठा के साथ सीआरपीएफ में लगभग 5 साल तक सेवा की। अधिकांश

अपनी (अपीलार्थी) सेवा के दौरान, यानी लगभग 4 साल, उन्होंने कश्मीर क्षेत्र में सेवा की। उनका सेवा रिकॉर्ड सराहनीय रहा है और बार-बार उन्हें उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलार्थी को सी. आई. एस. एफ. में ए. एस. आई. के रूप में 2010-11 में भी चुना गया था, लेकिन चूंकि वह पहले से ही सी. आर. पी. एफ. के साथ सेवा में था, इसलिए वह सी. आई. एस. एफ. में शामिल नहीं हो सका। उन्होंने एक प्रबल अपील की कि सतीश चंद्र यादव बनाम को एक मौका दिया जाए।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सेवा से समाप्ति के रूप में अपीलार्थी भविष्य के सभी सार्वजनिक या निजी रोजगारों में उसके रास्ते में आएगा। 32. ऐसी परिस्थितियों में, ऊपर उल्लिखित, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है

और अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करते हुए सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जा सकता है। विभाग।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः

33. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. सुश्री माधवी दीवान ने इस अपील का जोरदार विरोध किया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

आदेश दें। उन्होंने उसी प्रस्तुतियों को दोहराया जैसा कि संबंधित अपील का विरोध करते हुए उनके द्वारा प्रचार किया गया था।

34. विद्वान ए. एस. जी. सुश्री दीवान ने कहा कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

35. निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैंः

क) अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ कजनी पुलिस स्टेशन में अपराध मामला संख्या 1 दर्ज किया गया था।

261/2002 आई. पी. सी. की धारा 147,148,323,325,307,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए;

ख) अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में सत्र न्यायालय, गोरखपुर द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

ग) जाँच के अंत में, न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र दाखिल करने पर, 2009 का आपराधिक मामला संख्या 3266 न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर की अदालत की फाइल पर दर्ज किया गया।

घ) न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत संख्या 24, गोरखपुर ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया; ई) गोरखपुर की सत्र अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 147,323,325,307,504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आरोप तय किया।

च) निचली अदालत ने अंततः सभी अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए; [2022] 10 एस. सी. आर.

छ) अभिलेख पर सामग्री इंगित करेगी कि भरने के समय

20.08.2011 पर सत्यापन प्रपत्र के लिए, अपीलार्थी जमानत पर था। 09.07.2002 पर आरोप पत्र दायर किया गया था और 02.08.2011 पर, आरोप पत्र की एक प्रति भी अपीलार्थी को प्रस्तुत की गई थी;

ज) सत्यापन प्रपत्र में, विशेष रूप से खंड 12 में,

निम्नलिखित प्रश्न पाए जाते हैंः

" (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है?

हाँ/नहीं
हाँ/नहीं

(ख)

क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है?

क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है?

हाँ/नहीं

((ग)

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

(i) क्या आपके खिलाफ कोई मामला किसी भी अदालत में हां/नहीं में लंबित है? इस सत्यापन को भरने के समय कानून

रोल? "

36. उपरोक्त सभी प्रश्नों के विरुद्ध, अपीलार्थी एक टिक लगाता है

" नहीं ", जैसा कि ऊपर बताया गया है।

कानून की स्थिति

37. भारत संघ और अन्य में v. एम. भास्करन, आकाशवाणी (1996)

एस. सी. 686, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब नियुक्ति एक द्वारा प्राप्त की जाती है

एक फर्जी और जाली आकस्मिक श्रमिक सेवा कार्ड के आधार पर कर्मचारी, यह नियोक्ता पर गलत निरूपण और धोखाधड़ी के बराबर होगा। इसलिए, यह कर्मचारी के पक्ष में कोई समानता या नियोक्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाएगा और इस तरह के कदाचार के लिए, बिना किसी घरेलू जांच के बर्खास्तगी को उचित ठहराया जाएगा। इस न्यायालय ने कहाः

" 6. ..... नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं

गलत तरीके से प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी करने के दोषी थे

अपीलार्थी-रेलवे में नौकरी करते समय नियोक्ता सेवा की और ऐसा रोजगार छीन लिया जो नहीं होगा

उन्हें उपलब्ध कराया गया है यदि वे सशस्त्र नहीं थे ऐसे फर्जी और जाली श्रमिक सेवा कार्ड। .....

..... यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थी-नियोक्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला था।

यदि एक बार ऐसी धोखाधड़ी का पता चलता है, तो नियुक्ति का आदेश दिया जाता है

स्वयं जिन्हें दूषित और दूषित पाया गया था

कर्मचारियों की ओर से धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कार्य, आतिश चंद्र यादव बनाम थे।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वापस बुलाए जाने के लिए उत्तरदायी और कम से कम विकल्प पर अमान्य थे

..... पीड़ित वे सभी हैं जिनके पास नियुक्त या नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में समान या उससे भी बेहतर योग्यता थी, लेकिन जिन्होंने पद के लिए आवेदन नहीं किया था क्योंकि उनके पास पद नहीं था। विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताएँ। यह राशि है

हीन श्रेणी के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए जनता के साथ धोखाधड़ी

ऐसी परिस्थितियों में योग्यताएँ जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो कि योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। धोखाधड़ी प्रथा को कायम रखने के लिए किसी भी अदालत को पक्षकार नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से सच है जैसा कि न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया है कि उपरोक्त निर्णय में मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग थे। और यह भी सच है कि उस मामले में लंबित

सेवा जो आदेश के अनुसार जारी रखी गई थी

न्यायाधिकरण संबंधित उम्मीदवार ने आवश्यकता प्राप्त कर ली

इस न्यायालय द्वारा। लेकिन यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ। जैसा कि उपरोक्त निर्णय में निर्धारित किया गया है, यदि कोई धोखाधड़ी करके रोजगार प्राप्त किया जाता है, इस तरह की धोखाधड़ी प्रथा नहीं हो सकती है

कानून की अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने की अनुमति दी जाए। .....

38. एम. भास्करन (ऊपर) धोखाधड़ी का मामला था क्योंकि जालसाजी थी

निखरा हुआ।

39. दिल्ली प्रशासन में, v. सुशील कुमार, (1996) 11 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि चरित्र का सत्यापनयह परीक्षण करने के लिए कि क्या चयनित किया गया है, वंशानुगत महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है।

तिथि राज्य के तहत एक पद के लिए उपयुक्त है।

40. केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य में v. राम।

एन यादव, (2003) 3 एस. सी. सी. 437, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 12. ..... वर्तमान मामले में प्रतिवादी को एक के रूप में कार्य करना था

केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा शिक्षक। द.

एक शिक्षक के चरित्र, आचरण और पूर्वजों का प्रभावशाली उम्र के छात्रों के दिमाग पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। अपीलार्थियों ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। द.

उचित विचार के बाद न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष सही ढंग से दर्ज किया वास्तव में द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को बनाए रखने में

याचिकाकर्ता। .....

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

अभियोजन के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता /

विश्वास, आदि। सत्यापन प्रपत्र में रोजगार और सेवा में बने रहने के उद्देश्य से उसके चरित्र और पूर्ववृत्तियों का आकलन करना था; कि भौतिक जानकारी का दमन और अभियोजन और दोषसिद्धि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में गलत बयान देना कर्मचारी के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्तियों पर स्पष्ट रूप से असर डालता है; और जहां यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने उन मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी या गलत जानकारी दी थी जिनका उसकी योग्यता या पद के लिए उपयुक्तता पर असर पड़ता था, तो उसे बिना किसी जांच के परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा से समाप्त किया जा सकता था। इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न तो आपराधिक अपराध की गंभीरता और न ही उसमें अंतिम बरी होना इस बात पर विचार करते समय प्रासंगिक था कि क्या एक परिवीक्षाधीन जो एक भौतिक तथ्य (एक आपराधिक मामले में शामिल होने के बारे में) को दबाता है,

नियोक्ता को दी गई व्यक्तिगत जानकारी में), परिवीक्षाधीन के रूप में बने रहने के लिए उपयुक्त है।

42. कमल नयन मिश्रा बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और

अन्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 169, राम रतन यादव (ऊपर) में अनुपात निर्णय पर चर्चा की गई और निम्नानुसार स्पष्ट किया गयाः

" 14. इसलिए, राम रतन यादव का अनुपात निर्णय (2003)

3 एस. सी. सी. 437 है, जहाँ एक कर्मचारी (परिवीक्षाधीन) की आवश्यकता होती है

संबंध में एक प्रमाणन प्रपत्र में अपना व्यक्तिगत डेटा दें

यह पाया जाता है कि कर्मचारी को दबा दिया गया था या गलत दिया गया था जिन मामलों का उनसे संबंध था, उनके बारे में जानकारी

पद के लिए योग्यता या उपयुक्तता, उसे समाप्त किया जा सकता है

परिवीक्षा अवधि के दौरान बिना किसी पद के सेवा

पूछताछ की। निर्णय एक परिवीक्षाधीन से संबंधित था न कि एक धारक से एक सिविल पद का, और कहीं भी एक प्रस्ताव नहीं रखा कि

राज्य के तहत एक नागरिक पद धारण करने वाले पुष्ट कर्मचारी, कर सकते हैं

गलत जानकारी देने के लिए सेवा से बर्खास्त किया जाए

मिलने का अवसर दिए बिना प्रमाणन प्रपत्र में

उसके खिलाफ आरोप '।

[जोर दिया गया]

43. इस प्रकार, इस न्यायालय ने कमल नयन मिश्रा (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि

एक कर्मचारी जिसने नियुक्ति के समय भौतिक तथ्यों को छिपाया है, उसे उसके खिलाफ आरोपों का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए और बिना उचित सूचना के उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

44. आर. राधाकृष्णन बनाम। पुलिस महानिदेशक और

अन्य, (2008) 1 एस. सी. सी. 660, इस न्यायालय ने एक उम्मीदवार सतीश चंद्र यादव बनाम के मामले पर विचार किया।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एक फायरमैन के रूप में नियुक्ति के लिए जिसने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में गलत जानकारी दी थी, हालांकि वह बरी हो गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी सेवा में सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक उन व्यक्तियों से अलग हैं जो अन्य सेवाओं में सेवा करने का इरादा रखते हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उम्मीदवार महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने के लिए अपने बयान में चूक के निहितार्थ को जानता और समझता था। उम्मीदवार ने आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा नहीं करके, प्राधिकरण को एक उपयुक्त नियुक्ति के रूप में अपने चरित्र का सत्यापन करने से रोक दिया। इसलिए, इस न्यायालय ने ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में अपने न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसने ऐसे भौतिक तथ्यों को दबा दिया था।

45. इसी तरह, भारत संघ और अन्य में v. बिपाद भंजन

गेयेन, (2008) 11 एस. सी. सी. 314, इस न्यायालय ने उम्मीदवार की बर्खास्तगी की वैधता पर विचार किया, जिसे रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। इस न्यायालय ने माना कि समाप्ति की वैधता के प्रश्न का निर्धारण करते समय विभिन्न सेवाओं पर अलग-अलग मानकों को लागू करना है जब भौतिक तथ्य हैं

दबाया गया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 10. यह दोहराया जाता है कि किस बात ने समाप्ति का कारण बना है

वे मामले जो तब लंबित थे, और जिनमें वह था बाद में छुट्टी दे दी गई, लेकिन यह तथ्य कि उसने रोक लिया था

प्रमाणन प्रपत्र भरते समय प्रासंगिक जानकारी। हम.

आगे यह राय है कि एक पुलिस के रूप में एक रोजगार

अधिकारी इस तरह की ईमानदारी के एक उच्च स्तर का अनुमान लगाता है

व्यक्ति से कानून को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, और इसके विपरीत,

छल और छल से पैदा हुई ऐसी सेवा नहीं हो सकती

बर्दाश्त किया "।

[जोर दिया गया]

46. हरियाणा राज्य और अन्य में v. दिनेश कुमार (2008)

(3) एस. सी. सी. 222, इस न्यायालय ने एक कर्मचारी (राज्य पुलिस के लिए कांस्टेबल चालक) के मामले पर विचार किया, जिसने इस सवाल का जवाब "नहीं" दिया था कि क्या उसे गिरफ्तार किया गया था। कर्मचारी ने तर्क दिया था कि एक आम आदमी के रूप में, उसका गिरफ्तारी की समझ गिरफ्तारी की कानूनी परिभाषा से मेल नहीं खाती थी। उम्मीदवार ने कहा कि वह मजिस्ट्रेट के सामने

स्वैच्छिक रूप से पेश हुआ था, बिना औपचारिक हिरासत में लिए, उसे जमानत दे दी गई और अंततः उसे बरी कर दिया गया। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. सामान्य प्रश्नों में से एक जो इसलिए आवश्यक है

इन दोनों अपीलों में जवाब दिया जाना है कि क्या तरीका जिसे वे मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे और

कॉलम में पूछताछ के उद्देश्य के लिए "गिरफ्तारी" की राशि 13 (ए)। . ...

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

31. हमारे विचार में, दिनेश कुमार के मामले में दिया गया तर्क

उस संदर्भ में एक संभावित दृष्टिकोण है और इसकी आवश्यकता नहीं है संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप। इसके विपरीत,

ललित कुमार द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दिया गया निर्णय

और भूपिंदर को फैसले के अनुरूप होने के लिए उलटना पड़ता है

दिनेश कुमार के मामले में। जब सवाल होता है कि क्या

गठित "गिरफ्तारी" ने लंबे समय से ध्यान आकर्षित किया है

विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ यह न्यायालय भी, यह नहीं हो सकता है

एक आम आदमी से यह अपेक्षा करना पूरी तरह से अनुचित है कि

अदालत में पेश होने पर उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था

और तुरंत जमानत दी जा रही है। पद होगा

अलग था, क्या संबंधित व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया था

जमानत पर। हम, इन मामलों के तथ्यों में, लाभ देंगे जानबूझकर और गलत धारणा के बजाय

जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना और तथ्यों को छिपाना,

दोनों अपीलों में से दूसरी में भी अपीलार्थी, जबकि दिनेश कुमार के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए

मामला।

[जोर दिया गया]

47. इस प्रकार, यह माना गया कि भले ही जो हुआ वह तकनीकी रूप से हो सकता है

एन. टी. को गिरफ्तार करने के बजाय गलत धारणा का लाभ

एक जानबूझकर और जानबूझकर गलत प्रतिनिधित्व की समानताएँ और

तथ्यों का विश्लेषण कर्मचारी तक बढ़ाया जाना चाहिए।

48. दया शंकर यादव बनाम के मामले में यह न्यायालय। संघ का

और अन्य, (2010) 14 एस. सी. सी. 103 को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था।

भौतिक तथ्यों को दबाने पर एक सी. आर. पी. एफ. अधिकारीसेवा से निष्कासित। इस न्यायालय ने अपने पिछले आयनों का उल्लेख करते हुए स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया:

" 14. ..... उक्त जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य है -

उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाएँ ताकि श्री चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पद के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करना। इसलिए,

एन. डी. आई. डी. ए. टी. को इन स्तंभों में प्रश्नों का सही और पूरी तरह से उत्तर देना होगा और इसमें कोई भी गलत निरूपण या दमन-गलत कथन, अपने आप में एक

वर्दीधारी सुरक्षा के लिए अनुचित आचरण या चरित्र

आरविस "।

5. जब कोई कर्मचारी या भावी कर्मचारी घोषणा करता है

सत्यापन प्रपत्र, संबंधित प्रश्नों के उत्तर

अभिग्राही और पूर्ववर्ती, उनका सत्यापन कर सकते हैं

अतः निम्नलिखित में से किसी भी परिणाम की ओर ले जाता हैः

(क) यदि घोषणाकर्ता ने सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया है और किसी आपराधिक मामले का विवरण प्रस्तुत किया है (जिसमें उसे दोषी ठहराया गया था या लाभ देकर बरी कर दिया गया था) साक्ष्य के अभाव में संदेह होने पर), नियोक्ता इनकार कर सकता है

यदि वह अपराध/अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे रोजगार प्रदान करें (या यदि पहले से ही परिवीक्षा पर कार्यरत है, तो उसे सेवा से मुक्त कर दें)।

जिसमें वह शामिल था। (ख) दूसरी ओर, यदि नियोक्ता पाता है कि घोषणाकर्ता द्वारा प्रकट किया गया आपराधिक मामला अपराधों से संबंधित है जो

तकनीकी थे, या ऐसी प्रकृति के थे जो घोषणा करने वाले की रोजगार के लिए योग्यता को प्रभावित नहीं करते थे, या जहां घोषणा करने वाले को सम्मानपूर्वक बरी और दोषमुक्त कर दिया गया था,

नियोक्ता इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकता है कि घोषणाकर्ता था

आपराधिक मामले में मुकदमा चलाया जाता है और उसे नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं

या उसे नौकरी में जारी रखें।

(ग) जहां घोषणाकर्ता ने प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया है और सत्यापन पर यह पाया जाता है कि उत्तर गलत थे, नियोक्ता घोषणाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है (या उसे छुट्टी दे सकता है, यदि वह पहले से ही कार्यरत है), भले ही घोषणाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो या उसे बरी कर दिया गया हो।

ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दमन होता है या नहीं होता है

उसके चरित्र से संबंधित भौतिक जानकारी का प्रकटीकरण, जो स्वयं ही इसका उपयोग न करने का कारण बन जाता है

घोषणा करते हैं।

(घ) जहां प्रमाणन प्रपत्र या सत्यापन प्रपत्र करता है

इसमें [2022] 10 एस. सी. आर. की आवश्यकता वाले उचित या पर्याप्त प्रश्न नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी अपराधी में अपनी संलिप्तता का खुलासा करने की घोषणा

कार्यवाही, या जहाँ उम्मीदवार अनजान था

आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत जब उसने दिया सत्यापन सूची/सत्यापन प्रपत्र में घोषणाएं, फिर उम्मीदवार को प्रस्तुत नहीं करने के लिए दोष नहीं पाया जा सकता है

प्रासंगिक जानकारी। लेकिन अगर नियोक्ता को अन्य तरीकों से (जैसे पुलिस सत्यापन या शिकायतें आदि) पता चलता है

घोषणाकर्ता की भागीदारी में, नियोक्ता उपरोक्त पाठ्यक्रमों (ए) या (बी) का सहारा ले सकता है।

16. इस प्रकार परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा से छुट्टी दी जा सकती है या किसी भावी कर्मचारी को रोजगार से वंचित किया जा सकता हैः

चरित्र, एक आपराधिक मामले में उसकी दोषसिद्धि से प्रकट, या एक आपराधिक अपराध में उसकी भागीदारी (भले ही वह था तकनीकी आधार पर या संदेह का लाभ देकर) या अन्य आचरण (जैसे परीक्षा में नकल करना) या निष्कासन या निलंबन या कॉलेज से बहिष्कार आदि पर बरी कर दिया गया। ;

और

((ii) किसी आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन या दोषसिद्धि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में भौतिक जानकारी को दबाने या गलत बयान देने के आधार पर (भले ही

अंततः उन्हें आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया)।

यह आधार पिछले पूर्ववृत्त और चरित्र के आधार से अलग है, क्योंकि यह घोषणा करते समय वर्तमान संदिग्ध आचरण और चरित्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जिससे

उसे पद के लिए अयोग्य बनाना। "

49. इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में इस पर विचार-विमर्श करते हुए

अपीलार्थी से सत्यापन प्रपत्र में पूछे गए प्रश्न

वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया किः

" 24. हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी ने जानबूझकर गलत बयान दिया था कि उस पर किसी आपराधिक मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया था। इसलिए नियोक्ता (सी. आर. पी. एफ.) को न्यायसंगत ठहराया गया।

देने में ईमानदार नहीं होने के कारण अपनी सेवाओं से वंचित होना

उनके पूर्वजों के बारे में भौतिक जानकारी जो थी

एक वर्दीधारी सेवा में रोजगार के लिए प्रासंगिक, और यह स्वयं सेवा से उनके निर्वहन को उचित ठहराता है। नतीजतन, हम खारिज करते हैं

इस अपील की कोई योग्यता नहीं है "। सतीश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

50. पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले में। वी. संदीप कुमार (2011) 4 एस. सी. सी. 644, उम्मीदवार ने परीक्षा पास करने के बाद एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया जिसमें समझौता किया गया था और बाद में इस तरह के समझौते पर बरी कर दिया गया था। उन्हें कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के तथ्य को छुपाया था और अपने आवेदन पत्र में गलत बयान दिया था। अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक चुनौती दी गई थी जिसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए राहत दी। इस न्यायालय ने राहत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. यह सच है कि आवेदन पत्र में प्रतिवादी ने यह उल्लेख नहीं किया कि वह आई. पी. सी. की धारा 325/34 के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल था। संभवतः उन्होंने इस डर से इसका उल्लेख नहीं किया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। किसी भी घटना में, यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा गंभीर अपराध नहीं था, और इसलिए अधिक उदार दृष्टिकोण होना चाहिए।

मामले में लिया गया "।

51. न्यायालय ने उपरोक्त में इस तथ्य को ध्यान में रखा कि यह घटना तब हुई थी जब प्रतिवादी 20 वर्ष का था।

उम्र। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि युवाओं से वृद्ध लोगों की तरह परिपक्व तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दृष्टिकोण युवाओं द्वारा की गई छोटी-मोटी लापरवाही को माफ करने का होना चाहिए

बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए अपराधियों के रूप में चिह्नित करने के लिए।

52. जैनेंद्र सिंह बनाम के मामले में। यू. पी. राज्य त्रि. प्रिंल। सेक. गृह और अन्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 748, यह न्यायालय, भौतिक तथ्यों के दमन के मुद्दे पर निर्धारित अपने पिछले उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, जो समाप्ति के लिए एक आधार है, कुछ सिद्धांतों पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस न्यायालय ने इस मुद्दे को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन का भी आह्वान किया। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैंः

" 29. जैसा कि हमने उल्लेख किया है, उपरोक्त सभी निर्णय इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए थे और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के बाद, हम मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे पर विचार करते समय, न्यायालय को पहले विभिन्न प्रमुख सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा।

पीड़ित पक्ष को कोई राहत प्रदान करना, अर्थात्ः

29.1 धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति के आदेशों को नियोक्ता के विकल्प पर वैध रूप से अमान्य माना जा सकता है या नियोक्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है और ऐसे मामलों में केवल इसलिए कि प्रतिवादी कर्मचारी कई वर्षों तक सेवा में बना रहा है, इस तरह के धोखाधड़ी से प्राप्त रोजगार के आधार पर, उसे अपने पक्ष में कोई इक्विटी या नियोक्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं मिल सकती है।

29.2 चरित्र और पूर्ववृत्तियों का सत्यापन इस बात का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है कि क्या चयनित उम्मीदवार राज्य के तहत पद के लिए उपयुक्त है और अपने पूर्वजों के कारण नियुक्ति प्राधिकरण यदि किसी व्यक्ति को अनुशासित बल में नियुक्त करना वांछनीय नहीं पाता है तो क्या इसे कहा जा सकता है

बिना किसी जांच के समाप्ति का सहारा लेते हुए। 29.4 एक उम्मीदवार जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है और/या गलत जानकारी दे रहा है, वह सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और नियोक्ता, रोजगार की प्रकृति के साथ-साथ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेवाओं को समाप्त करने का विवेक रखता है।

29.5 जानकारी के लिए कॉल करने का उद्देश्य

किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता या निरोध या दोषसिद्धि चरित्र/पूर्ववृत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य से है।

ऐसी भौतिक जानकारी की भर्ती और दमन के समय उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त पर उसकी निरंतरता के संबंध में स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा।

सेवा करते हैं।

29.6 वह व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया और/या गलत जानकारी दी, वह किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

नियुक्ति या सेवा में निरंतरता।

29.7 वर्दीधारी सेवा में सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक अन्य सेवाओं से काफी अलग है और इसलिए, किसी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में किसी भी जानबूझकर दिए गए बयान या चूक को गंभीरता से देखा जा सकता है और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

आतिश चंद्र यादव बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

29.8 परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा से छुट्टी दी जा सकती है या दमन के आधार पर उसे नौकरी से वंचित किया जा सकता है।

आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता, दोषसिद्धि या निरोध से संबंधित भौतिक जानकारी या गलत बयान देना, भले ही वह अंततः उक्त मामले से बरी हो गया हो। ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति को अवांछनीय बना देगी या

पद के लिए अनुपयुक्त।

29.9 वर्दीधारी सेवा में एक कर्मचारी का अनुमान है कि

ऐसे व्यक्ति से कानून को बनाए रखने के लिए उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा की अपेक्षा की जाती है और इसके विपरीत ऐसी सेवा छल में पैदा होती है और छल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

29.10 जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपा गया

सिपाहियों की नियुक्ति, सत्यापित करने के लिए कर्तव्य के तहत हैं

यह पता लगाने के लिए कि क्या वह कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त है और जब तक उम्मीदवार के पास है

आपराधिक मामले में बरी नहीं किया गया है, उसे नहीं रखा जा सकता है

सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो।

53. न्यायालय ने मुद्दों को वृहद पीठ को संदर्भित करते हुए कहा कि

आर. ए. एस. 30 और 31 ने निम्नानुसार उत्तर दियाः

" 30. जब हम अधिकांश निर्णयों में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो वह प्रश्न जो पहले बड़ा होता है।

जब हम उम्मीदवारों द्वारा इस तरह के दावे पर विचार करते हैं जो

भर्ती के समय जानबूझकर दी गई जानकारी, क्या अनुदान के मामले में अलग-अलग मापदंड लागू किए जा सकते हैं

31. यद्यपि उपरोक्त पैराग्राफ में लिए गए विभिन्न बिंदुओं के समर्थन में बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन जैसा कि हमने समन्वित पीठों के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वाले कुछ अन्य निर्णयों पर ध्यान दिया है, हम उचित समझते हैं कि एक आधिकारिक निर्णय के लिए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ को उपर्युक्त मुद्दे ताकि विचारों का कोई टकराव न हो और जो अदालतों को ऐसे मुद्दों से निपटने के दौरान कानून को समान रूप से लागू करने में सक्षम बनाएगा।

54. इस न्यायालय ने भारत के अवतार सिंह और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 471 के मामले में मुद्दों को निपटाने से पहले पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के मामले में उक्त आई. पी. एल. पर विस्तार से चर्चा की।

आई और एक अन्य वी। मेहर सिंह (2013) 7 एस. सी. सी. 685। इस मामले में, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए एक तारीख ने उनके [2022] 10 एस. सी. आर. का खुलासा किया था।

एक आपराधिक मामले में संलिप्तता, जिसमें उन्हें तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया था। इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी को स्थायी समिति ने खारिज कर दिया था। उम्मीदवार ने तर्क दिया कि चूंकि उन्हें बरी कर दिया गया था, इसलिए स्थायी समिति ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था सक्षम प्राधिकारी का निर्णय। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए कि क्या प्रतिवादी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 25. एस. समुथिरम 2013 (1) एस. सी. सी. 598 में इस न्यायालय द्वारा "सम्मानजनक बरी" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया था। उस में

मामला यह न्यायालय ऐसी स्थिति से संबंधित था जहाँ

पुलिस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई

अधिकारी। उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 509 और ईव-टीज़िंग एक्ट की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला लंबित था। वह था।

प्रमुख गवाहों से पूछताछ न करने के कारण उस मामले में बरी कर दिया गया। आपराधिक मामले के संचालन में एक गंभीर त्रुटि थी। दो भौतिक गवाह मुकर गए। उल्लेख करते हुए

आर. बी. आई. बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के लिए। भोपाल सिंह पांचाल (1994) 1 एस. सी. सी. 541 जहां कुछ इसी तरह की तथ्य स्थिति में, इस न्यायालय ने इस आधार पर एक कर्मचारी को सेवा में बहाल करने से इनकार करने की बैंक की कार्रवाई को बरकरार रखा कि आपराधिक मामले में

उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था और इसलिए, यह एक सम्मानजनक बरी नहीं था, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही में लगाए गए दंड को रद्द करने में उचित नहीं था। इस न्यायालय ने कहा कि "सम्मानजनक बरी", "दोषमुक्त" और "पूरी तरह से दोषमुक्त" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं। वे न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए जाते हैं। यह परिभाषित करना मुश्किल है कि इसका क्या अर्थ है

"सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति द्वारा। इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि जब अभियोजन पक्ष के मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है और

अभियोजन पक्ष दुर्भाग्य से अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहता है, संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त

सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया।

26. उपरोक्त के आलोक में, हमारी राय है कि चूंकि विभागीय कार्यवाही का उद्देश्य उन व्यक्तियों को, जो गंभीर दुराचार या कर्तव्य की अवहेलना के दोषी हैं या जो नैतिक अधमता के गंभीर मामलों के दोषी हैं, ATISH CHANDRA YADAV v से बाहर रखना है।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विभाग, यदि आवश्यक पाया जाता है, क्योंकि वे विभाग को प्रदूषित करते हैं, तो निश्चित रूप से उपरोक्त सिद्धांत अधिक के साथ लागू होंगे। पुलिस विभाग में किसी व्यक्ति के प्रवेश के समय अर्थात भर्ती के समय शक्ति। यदि जाँच समिति द्वारा यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ गंभीर मामला है

नैतिक अधमता को दर्ज करते हुए तकनीकी आधार पर आरोपमुक्त किया जाता है या उसी आरोप से बरी किया जाता है, लेकिन बरी होना सम्मानजनक नहीं है, जांच समिति उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का हकदार होगी। अनुशासनात्मक बल में व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय सख्त मानदंडों को लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जनहित शामिल है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

34. उत्तरदाता इस तथ्य से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके आवेदन और/या सत्यापन प्रपत्र में उन्होंने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है। हम यह नहीं देखते कि यह तथ्य उनके मामले को कैसे सुधारता है। आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में इन तथ्यों का खुलासा एक आवश्यक आवश्यकता है। उम्मीद की जाती है कि एक उम्मीदवार इन तथ्यों को ईमानदारी से बताएगा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पुलिस बल की अंतर्निहित आवश्यकताएँ हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं को इस प्रकटीकरण के कारण किसी भी ब्राउनी अंक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, यह नहीं है

आरोपमुक्त व्यक्ति को पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, जो प्रासंगिक है वह है अपराध की प्रकृति, उसकी संलिप्तता की सीमा, क्या बरी होना एक स्पष्ट बरी होना था या संदेह का लाभ देकर बरी होना क्योंकि - गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए या अभियोजन पक्ष में किसी गंभीर दोष के कारण, और ऐसे व्यक्ति की भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होने की प्रवृत्ति के कारण। यह निर्णय, हमारी राय में,

केवल इसके लिए बनाई गई जाँच समिति द्वारा लिया जा सकता है दिल्ली पुलिस का यही उद्देश्य है। यदि जाँच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है या बाहरी द्वारा प्रेरित नहीं है

विचार करते हुए, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

35. पुलिस बल एक अनुशासित बल है। कानून और व्यवस्था और जनता को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है।

समाज में व्यवस्था। लोग बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं [2022] 10 एस. सी. आर.

उसमें। यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार

पुलिस बल में शामिल होने के लिए अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।

उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। एक व्यक्ति

आपराधिक पृष्ठभूमि होना इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। यहाँ तक कि यदि वह आपराधिक मामले में बरी या आरोपमुक्त हो जाता है, कि

यह देखने के लिए दोषमुक्त या निर्वहन आदेश की जांच करनी होगी

क्या उसे मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराधों के जीवन में ले जाने की संभावना भी

यह पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। द.

इसलिए, स्थायी आदेश ने लेने का काम सौंपा है।

जाँच समिति को इन मामलों में निर्णय। द.

जाँच समिति का निर्णय अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए

जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो। हाल के दिनों में पुलिस की छवि

बल धूमिल हो जाता है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार के उदाहरण

सत्ता का दुरुपयोग करके गलत तरीके से काम करना सार्वजनिक है

और यह चिंता का विषय है। पुलिस की प्रतिष्ठा

बल ने प्रहार किया है। ऐसी स्थिति में, हम नहीं करेंगे

एक तंत्र के महत्व और प्रभावकारिता को कम करना पसंद करते हैं

दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जाँच समिति की तरह

यह सुनिश्चित करें कि जिन व्यक्तियों की इसकी विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे ऐसा करें

पुलिस बल में प्रवेश न करें। उसी समय, स्क्रीनिंग

समिति को विश्वास के महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए।

और सभी उम्मीदवारों के साथ समान हाथ से व्यवहार करना चाहिए।

[जोर दिया गया]

अवतार सिंह के पूर्ववर्ती

55. अवतार सिंह (ऊपर) के मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने जैनेंद्र सिंह (ऊपर) में रेखांकित विभिन्न निर्णयों में राय के टकराव पर गौर किया। वृहद पीठ ने सूचना को दबाने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के सवाल पर, आपराधिक रूप से मुकदमा चलाए जाने, गिरफ्तार किए जाने या आपराधिक मामले के लंबित होने के सवाल पर भी कई फैसलों पर विचार किया। इस विषय पर इस न्यायालय के पिछले सभी फैसलों का विश्लेषण करने के बाद, वृहद पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 30. नियोक्ता को समाप्त करने के लिए 'विवेकाधिकार' दिया जाता है या

अन्यथा चूक को माफ करने के लिए। अन्यथा भी, एक बार

नियोक्ता के पास निर्णय लेने की शक्ति है जब

सत्यापन प्रपत्र भरने वाले घोषणाकर्ता को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है /

बरी किए जाने पर, ऐसे मामले में, यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी तथ्य आतिश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

और दमन या गलत जानकारी के प्रभाव सहित उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि

विचाराधीन सेवाओं के लिए किसी पदधारी की उपयुक्तता का निर्णय लेना। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दमन कोई मायने नहीं रखता है और भले ही तथ्यों का खुलासा किया गया हो, यह किसी पदधारी की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, तो दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उसके पास चूक को माफ करने की शक्ति है। हालांकि, ऐसा करते समय नियोक्ता को पद की प्रकृति और दिए जाने वाले कर्तव्यों पर उचित विचार करते हुए समझदारी से कार्य करना होगा। उच्च अधिकारियों/उच्च पदों के लिए, मानक बहुत उच्च होना चाहिए और यहां तक कि थोड़ी सी भी गलत जानकारी या दमन अपने आप में किसी व्यक्ति को पद के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। हालाँकि, प्रत्येक पद पर एक ही मानक लागू नहीं किया जा सकता है। में।

यह देखना होगा कि जो दबा दिया गया है वह भौतिक तथ्य है और किसी पदधारी को नियुक्ति के लिए अयोग्य बना देता। एक नियोक्ता होगा

नियुक्त न करना या नियुक्त किए जाने पर उसे समाप्त करना न्यायोचित है

विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर ऐसे पदाधिकारी की सेवाएँ। भले ही खुलासा सच्चाई से किया गया हो, नियोक्ता को योग्यता पर विचार करने का अधिकार है और ऐसा करते समय दोषसिद्धि के प्रभाव और मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों, अपराध की प्रकृति आदि पर विचार करना होगा। भले ही बरी कर दिया गया हो, नियोक्ता अपराध की प्रकृति पर विचार कर सकता है, चाहे बरी होना सम्मानजनक है या तकनीकी कारणों से संदेह का लाभ देना और किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार करना जो अयोग्य या संदिग्ध चरित्र का हो। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि या बरी होने का आधार पदधारी की नियुक्ति या सेवा में बने रहने की योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

56. वृहद पीठ ने कहा कि सामग्री को दबाने वाले कर्मचारी को बर्खास्त करते समय एक वस्तुनिष्ठ मानदंड को संशोधित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि केवल दमन ही उन्मूलन का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है और न्यायालय के तथ्यों पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

" 34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्वजों का सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और यह नियोक्ता के लिए [2022] 10 एस. सी. आर. के पूर्वजों पर निर्णय लेने के लिए खुला है।

अवलंबी, लेकिन अंतिम कार्रवाई उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए

सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने के लिए मानदंड।

35. "भौतिक" जानकारी के दमन से यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसे दबाया जाता है वह हर तकनीकी या तुच्छ मामले को "मायने" नहीं रखता है। नियोक्ता को रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हों, पर उचित विचार करते हुए कार्य करना होगा।

उम्मीदवारी या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए। यद्यपि एक व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

36. कौन सा पैमाना लागू किया जाना है, यह इस पर निर्भर करता है कि

पद की प्रकृति, उच्च पद में अधिक कठोरता शामिल होगी

सभी सेवाओं के लिए मानदंड, न केवल समान सेवा के लिए। निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, प्रभाव

उपयुक्तता पर दमन पर विचार किया जाना चाहिए

कर्तव्यों/सेवाओं और शक्तियों के पद/प्रकृति पर विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित विचार पर प्रयोग करना होगा।

विभिन्न पहलुओं से।

57. न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया कि युवा अपराधियों को उपयुक्त मामलों में क्षतिपूर्ति का अवसर दिया जाना चाहिए जैसे कि उम्मीदवारी को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करना। अदालत ने

इस मुद्दे पर चर्चा का सारांश नीचे दिए गए दिशानिर्देशों में दिया गया है:

" 38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

चर्चा करते हुए, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं: 38.1 . एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषसिद्धि, बरी होने या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए।

और कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए आवश्यक जानकारी।

गलत जानकारी देने के लिए उम्मीदवारी रद्द करना, नियोक्ता मामले की विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दे सकता है,

यदि कोई हो, तो ऐसी जानकारी देते समय।

आतिश चंद्र यादव बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

38.3 . नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4 . यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता हैः

38.4. 1 . तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा किया जाता तो इसका अनुवाद नहीं होता एक पदधारी जो विचाराधीन पद के लिए अयोग्य है, नियोक्ता अपने विवेक से तथ्य या झूठ के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।

चूक को माफ करके जानकारी।

38.4. 2 . जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4. 3 . यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और मामले को जारी रखने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5 ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 38.6 . यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

38.7 . सम्मान के साथ तथ्य के जानबूझकर दमन के मामले में

कई लंबित मामलों में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप [2022] 10 एस. सी. आर. होगी।

महत्व ग्रहण करता है और एक नियोक्ता उचित पारित कर सकता है

उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आदेश

एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं

लंबित होना उचित नहीं हो सकता है। 38.8 . यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी यह हो सकता है

प्रतिकूल प्रभाव और नियुक्ति प्राधिकरण लेगा

अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय।

38.9 . यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो धारण करें

पारित होने से पहले विभागीय जांच आवश्यक होगी।

के आधार पर समाप्ति/हटाने या बर्खास्तगी का आदेश

सत्यापन में गलत जानकारी को दबाना या जमा करना

रूप में।

38.10 . दमन या गलत जानकारी निर्धारित करने के लिए

प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है तो उसे संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। फिटनेस का सवाल। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

एक तथ्य के बारे में जानकारी जिसकी मांग भी नहीं की गई थी।

38.11 . इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

अवतार सिंह के पद पर कानून की स्थिति

58. केंद्र शासित प्रदेश में, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य, अदीप कुमार और एक अन्य, (2018) 1 एस. सी. सी. 797 में एन. डी. एन. डी. को सम्मानपूर्वक बरी किए जाने और मुकदमा चलाने का अधिकार होने का मुद्दा उठाया गया था। यह न्यायालय मेहर सिंह पर भरोसा करते हुए

क) और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपराधों की प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए,

इस प्रकार हैः

" 13. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से उन्हें पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है। फिर भी नियोक्ता के लिए यह खुला है कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह सतीश चंद्र यादव बनाम में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पोस्ट करें। मेहर सिंह में इस न्यायालय की टिप्पणियों से

(2013) 7 एस. सी. सी. 685 और परवेज खान (2015) 2 एस. सी. सी. 591 मामले,

यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती होने वाला उम्मीदवार

त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा का होना चाहिए। एक व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि होना इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। यहाँ तक कि

जाँच समिति का निर्णय अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है। जाँच समिति

उसमें रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। और उम्मीदवार को अत्यंत चरित्र के साथ जांचना चाहिए।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

15. उपरोक्त विवरणों से हम पाते हैं कि जाँच

समिति ने उत्तरदाताओं के प्रत्येक मामले की जांच की

और उनके बरी होने के कारण और निर्णय लिया।

यह तय करते समय कि क्या कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में शामिल है

बरी कर दिया गया है या छुट्टी दे दी गई है एक के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए

पुलिस बल में पद, अपराध की प्रकृति जिसमें वह शामिल है,

चाहे वह एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल एक विस्तार था

गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने के कारण संदेह का लाभ और

अभियोजन में खामियां सभी पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए

जाँच समिति द्वारा निर्णय लेने के लिए कि क्या

उम्मीदवार इस पद के लिए उपयुक्त है।

[जोर दिया गया]

59. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में v.

बंटी, (2020) 17 एससीसी 654, उम्मीदवार ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि

सत्यापन के समय उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। आपराधिक कार्यवाही उम्मीदवार द्वारा एक पुलिस अधिकारी का प्रतिरूपण करने पर आधारित थी और इस न्यायालय ने इसे एक ऐसा मामला माना जिसमें नैतिक अधमता शामिल थी। उम्मीदवार को संदेह का लाभ दिया गया था। उम्मीदवार को एक गवाह के शत्रुतापूर्ण होने के तकनीकी आधार पर बरी कर दिया गया था। इस अदालत ने माना कि जांच समिति द्वारा बनाई गई धारणा, कि वह अनुशासित पुलिस बल में शामिल होने के लिए अयोग्य था, उचित थी। इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जांच समिति के निर्णय को ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो न्यायिक हस्तक्षेप की गारंटी देता हो जब तक कि इसमें कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा शामिल न हो।

60. राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में v. लव कुश

मीणा, (2021) 8 एस. सी. सी. 774, प्रतिवादी पर धारा [2022] 10 एस. सी. आर. के तहत आरोप लगाया गया था।

302 , 323 , 341/34 आई. पी. सी. का जवाब दिया और बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। गवाहों ने कहा

शत्रुतापूर्ण हो गए। उम्मीदवार ने आवेदन करते समय उक्त तथ्य का खुलासा किया था; हालाँकि, अवतार सिंह (ऊपर) पर भरोसा करते हुए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24. वर्तमान मामले में विवाद की जांच करना

उपरोक्त कानूनी स्थिति का परिप्रेक्ष्य, क्या महत्वपूर्ण है

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है -

आरोपित अपराध की प्रकृति और उसी का परिणाम। द.

बरी होने का केवल एक तथ्य पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह होगा

मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता, उस मापदंड को पूरा नहीं किया गया है, संदेह का लाभ दिया गया है

अभियुक्त को दिया गया।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

26. अवतार सिंह के मामले (2016) 8 एस. सी. सी. 471 में फैसला

उपरोक्त निकाला गया प्रासंगिक पैरामीटर स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है

जहाँ अपराध की जघन्य या गंभीर प्रकृति के संबंध में

दोषमुक्ति उचित संदेह के लाभ पर आधारित है, कि

उम्मीदवार को योग्य नहीं बना सकते।

[जोर दिया गया]

61. भारत संघ और अन्य के मामले में v. मेथु मेदा,

(2022) 1 एस. सी. सी. 1, प्रतिवादी ने सी. आई. एस. एफ. में सिपाही के पद के लिए आवेदन किया था और उसका चयन किया गया था। प्रतिवादी ने उस मामले के बारे में खुलासा किया था जिसमें उसे बरी कर दिया गया था। लेकिन बाद में उनका चयन रद्द कर दिया गया। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और तकनीकी आधार पर बरी होने के परिणाम पर चर्चा की। यह भी दोहराया गया कि पुलिस बल में शामिल होने वाला व्यक्ति त्रुटिहीन चरित्र का होना चाहिए और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों में,

पैरा 38.3,38.4 के अनुसार। 3 और अवतार सिंह मामले के 38.5 (ऊपर)

(2016) 8 एससीसी 471, यह स्पष्ट है कि नियोक्ता के पास है

उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार

आतिश चंद्र यादव v लेते समय सरकारी आदेश/निर्देश/नियम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

रोजगार में उम्मीदवार को शामिल करने का निर्णय।

के अपराधों के संबंध में तकनीकी आधार पर बरी होना

जघन्य/गंभीर प्रकृति, जो कि निर्दोष बरी नहीं है,

कर्मचारी के बने रहने के बारे में निर्णय। इस मामले में भी, मुकदमों के समापन के संबंध में सच्ची घोषणा की गई है

पूर्ववर्ती और नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है उम्मीदवार।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कौन है पुलिस बल में शामिल होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च व्यक्ति होना चाहिए।

ईमानदारी और त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा है। ए.

आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इसमें उपयुक्त नहीं होगा।

श्रेणी। नियोक्ता को प्रकृति पर विचार करने का अधिकार है

जब तक वह पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं हो जाता, तब तक दोषमुक्त होने या निर्णय लेने का

क्योंकि उसके अपराधों के जीवन में ले जाने की संभावना भी

यह पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। द.

जाँच समिति को इन मामलों में निर्णय और समिति का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि दुर्भावनापूर्ण न हो।

21. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, कानून अच्छी तरह से स्थापित है। यदि ए.

व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जाता है,

नैतिक अधमता वाले अपराध का आरोप या क्योंकि

गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए, यह स्वचालित रूप से हकदार नहीं होगा

पर्याप्त नहीं है। उक्त स्थिति में, नियोक्ता नहीं हो सकता है उम्मीदवार को नियुक्ति देने के लिए मजबूर किया। .....

[जोर दिया गया]

62. भारत संघ (यू. ओ. आई.) में v. दिलीप कुमार मलिक, (2022)

ले 108, एक सीआरपीएफ अधिकारी ने इस तथ्य को दबा दिया था कि कार्यवाही

आर आई. पी. सी. उसके खिलाफ लंबित था। न्यायालय ने सिंह (उपरोक्त) का उल्लेख करते हुए कहा कि दमन [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए एक आधार हो सकता है।

उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए। एनडेंट ने 2003 से संगठन में सेवा की और संगठन की जानकारी के बिना मुकदमे के आरोपी बने रहे। न्यायाधीश को निचली अदालत से सम्मानजनक बरी कर दिया गया। यह टी निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 13. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि भौतिक जानकारी का खुलासा न करने और गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामलों को इस न्यायालय द्वारा समान गंभीरता के रूप में माना गया है और यह बिना किसी अनिश्चित शर्तों के निर्धारित किया गया है कि खुलासा न करना स्वयं एक नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है। ऊपर उद्धृत सारांश में भी इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि

एक उम्मीदवार द्वारा आपराधिक मामले के रूप में नियोक्ता को दी गई जानकारी, जिसमें गिरफ्तारी या मामले के लंबित होने के कारक शामिल हैं, चाहे सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

तथ्य या गलत जानकारी, इस बात के कारकों पर निर्भर करती है कि क्या जानकारी, यदि प्रकट की जाती है, तो संबंधित पद के लिए अयोग्य हो जाती है। 14.1 . हालांकि, उपरोक्त टिप्पणियों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां प्रतिवादी के खिलाफ वास्तव में एक आपराधिक मामला लंबित था और तथ्यों का उल्लेख करने से पूरी तरह से हटा दिया गया था, नियोक्ता ऐसे चूक और कमियों को नजरअंदाज करने के लिए बाध्य होगा।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

16. तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, जहां प्रासंगिक जानकारी का दमन विवाद का विषय नहीं है, न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है।

जिस तरह से नियोक्ता को किसी भी कम अतिश चंद्र यादव v को लागू करने का निर्देश दिया जाए।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सजा ', उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्देशित

अदालत। सहानुभूति और आह्वान पैदा करने की मांग करने वाली प्रस्तुतियाँ

उदारता के लिए पक्ष में कोई राहत नहीं हो सकती है

उत्तरदाता।

[जोर दिया गया]

63. पवन कुमार बनाम के मामले में। भारत संघ (2022) एस. सी. सी.

एस. सी. 532 में, अपीलार्थी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था

धारा 148,149,323,356 और 506 के तहत दंडनीय

पीसी। अपीलार्थी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाणन प्रपत्र 1 में सहायता आपराधिक अभियोजन के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। ऐसे आधार पर, अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया गया था

सेवा करते हैं। उच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त करने को बरकरार रखा। अनुमति देते हुए

अल, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“ 13. इसके द्वारा निर्धारित प्रदर्शनी से क्या निकलता है

अदालत का कहना है कि केवल सामग्री/झूठी जानकारी का दमन करके

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई दोषसिद्धि है या बरी किया गया है

केवल एक द्वारा सेवा से स्वयंसिद्ध रूप से छुट्टी/समाप्ति कलम का प्रहार। उसी समय, दमन का प्रभाव

आपराधिक मामले में शामिल सामग्री/गलत जानकारी, यदि कोई हो, नियोक्ता पर सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है और

पूर्ववर्तियों के रूप में उपलब्ध परिस्थितियाँ और ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंड और संबंधित सेवा नियम

उचित निर्णय लेते समय विचार करें कर्मचारी की सेवा में निरंतरता/उपयुक्तता। क्या?

किसी मामले में सामग्री/गलत जानकारी का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को छुट्टी/बर्खास्त कर सकता है।

सेवा से।

एक्स

एक्स

एक्स

18. आपराधिक मामला वास्तव में तुच्छ प्रकृति का था और

पदधारी की समग्र उपयुक्तता की जांच करते हुए सदस्य बनने के लिए नियम 1987 के नियम 52 को ध्यान में रखते हुए

बल से। प्रदर्शनी पर विचार करते हुए

इस न्यायालय द्वारा हमारे [2022] 10 एस. सी. आर. में अवतार सिंह (ऊपर) में व्यक्त किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा पारित निर्वहन के आदेश को देखें

सक्षम प्राधिकारी दिनांक 24 अप्रैल, 2015 स्थायी नहीं है।

और उसके उत्तरार्द्ध में प्रभाग द्वारा पारित निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ अच्छा नहीं मानती है और इसकी हकदार है अलग करने के लिए "।

[जोर दिया गया]

64. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के मामले में

सीमित और एक अन्य वी। अनिल कांवरिया, (2021) 10 एस. सी. सी. 136, इस न्यायालय ने विचाराधीन मुद्दे को पूरी तरह से एक अलग आयाम दिया। उक्त मामले में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी निगम की स्थापना पर तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन किया था। प्रत्यर्थी को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।

06.05.2015 . प्रत्यर्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी के मूल जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र/सत्यापन रिपोर्ट के उत्पादन के अधीन थी। अधीक्षक, सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.06.2015 का वीडियो बनाया।

परिवीक्षाधीन। इस तथ्य को प्रत्यर्थी ने अपनी नियुक्ति के समय दबा दिया था। ऐसी परिस्थितियों में कार्रवाई की गई और अंततः प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। प्रतिवादी ने बर्खास्तगी के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलार्थी को प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी निगम ने डिवीजन बेंच के समक्ष एक अंतर-अदालत अपील को प्राथमिकता दी। याचिका खारिज होने के लिए आई। अपीलार्थी निगम अंततः इस न्यायालय में आया और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी। इस न्यायालय ने निगम द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए पैरा 14 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“ 14. इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे कोण से विचार किया जा सकता है,

नियोक्ता के दृष्टिकोण से। सवाल यह नहीं है कि

क्या कोई कर्मचारी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था

और क्या उसे बाद में बरी कर दिया गया है या नहीं। द.

सवाल इस तरह की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता के बारे में है।

एक कर्मचारी जो रोजगार के प्रारंभिक चरण में है, अर्थात सतीश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

घोषणा/सत्यापन और/या आवेदन जमा करते समय

गलत घोषणा की गई पोस्ट के लिए और/या खुलासा नहीं करना और /

या किसी अपराधी में शामिल होने के भौतिक तथ्य को दबाना मामला। यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो

हो सकता है कि नियोक्ता ने उसे नियुक्त न किया हो। फिर सवाल यह है कि

विश्वास का। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां नियोक्ता

ऐसा महसूस होता है कि एक कर्मचारी जिसने प्रारंभिक चरण में ही किया है

सेवा में बने रहे क्योंकि ऐसा कर्मचारी नहीं हो सकता है भविष्य में भी नियोक्ता को मजबूर नहीं किया जा सकता है

ऐसे कर्मचारी को जारी रखें। विकल्प/विकल्प चाहे

ऐसे कर्मचारी को जारी रखना या न रखना हमेशा आवश्यक है

नियोक्ता को दिया गया। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा जाता है

और जैसा कि यहाँ ऊपर निर्णय के कैटेना में देखा गया है कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या जारी नहीं रख सकता है

अधिकार के रूप में सेवा में। "

[जोर दिया गया]

65. इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि तथ्य चाहे जो भी हो

यह सार्वजनिक रोजगार के लिए आता है। इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि यदि कोई विशेष कर्मचारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को दबा देता है या कोई गलत घोषणा करता है सार्वजनिक रोजगार को सुरक्षित करने की दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे कर्मचारी ने एक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है जिससे नियोक्ता का विश्वास हिलने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में, यह नियोक्ता के विवेकाधिकार के भीतर होगा कि ऐसे कर्मचारी को जारी रखा जाए या नहीं, जिसने एक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है जो उसके समग्र चरित्र या विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित होती है।

66. अब हम इस न्यायालय के निर्णय पर गौर करने के लिए आगे बढ़ते हैं

मोहम्मद इमरान बनाम का मामला महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 696, जिस पर यहाँ अपीलार्थी की ओर से मजबूत निर्भरता रखी गई है। उक्त मामले में, अपीलार्थी मोहम्मद इमरान को नैतिक अधमता के आधार पर न्यायिक सेवा में नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उन्हें आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना करना

पड़ा था। अपीलार्थी को न्यायिक आयोग में नियुक्ति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने से बहुत पहले ही आई. पी. सी. की धारा 363 और 366 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था।

वर्ष 2009 में सेवा। इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपराधी [2022] 10 एस. सी. आर.

दंडादेश अपीलार्थी के रास्ते में आ गया। हालाँकि वे निचली अदालत में बरी हो गए थे, फिर भी उन्हें "नैतिक व्यवहार" के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थी बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष हार गया। यह उनकी अपील को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 5. हमारे देश में रोजगार के अवसर दुर्लभ हैं।

देश। प्रत्येक विज्ञापन बड़ी संख्या में आमंत्रित करता है सीमित संख्या में रिक्तियों के लिए उम्मीदवार। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।

राहत प्रदान करने के लिए सहानुभूति का आह्वान करने के लिए पर्याप्त है जहाँ

उम्मीदवार की साख गंभीर सवाल उठा सकती है।

उपयुक्तता के संबंध में, पात्रता की परवाह किए बिना। निस्संदेह, न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं से बहुत अलग है और उपयुक्तता का पैमाना जो अन्य सेवाओं पर लागू हो सकता है, न्यायिक सेवा के लिए समान नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायिक सेवा सरलीकरण में नियुक्ति से इनकार करने के लिए नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या अलंकारिक उच्चारण नहीं हो सकता है। बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुधार करने, अतीत से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

जीवन में आत्म-सुधार द्वारा। पिछला आचरण करने के लिए, सभी विचारों के बावजूद, चारों ओर एक अल्बाट्रॉस

उम्मीदवार की गर्दन हमेशा न्याय का गठन नहीं कर सकती है। हालाँकि, बहुत कुछ एक मामले की तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा।

6. पवन कुमार बनाम में इस बात पर विचार किया गया था कि "नैतिक अधमता" अभिव्यक्ति सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। हरियाणा राज्य, [(1996) 4 एससीसी 17: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 583], राय देते हुए

: (एस. सी. सी पी. 21, पैरा 12)

" 12. " नैतिक अधमता "एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग कानूनी और सामाजिक भाषा में ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से आधार, नीच, भ्रष्ट या भ्रष्टता दिखाने वाला कोई संबंध रखता है।

7. कठोर शैक्षणिक श्रम के कारण अपीलार्थी था

16-8-2009 पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति 14-10-2009 पर। अपने प्रमाणन प्रपत्र में उन्होंने विधिवत खुलासा किया था

उसका अभियोजन और बरी होना। केवल एक में खुलासा

उपयुक्त मामला रोजगार में उपयुक्तता के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। फिर भी आरोपों की प्रकृति और मामले के तथ्यों में आचरण निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक होगा। जबकि इस प्रकार अनुशंसित अन्य लोगों को नियुक्त किया गया, आतिश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

पुलिस की चरित्र सत्यापन रिपोर्ट को देखते हुए 4-6-2010 पर अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया था।

8. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि श्री सुधीर गुलाबराव

बार्डे, जिन्हें आई. पी. सी. की धारा 304,504 और 34 के तहत 2007 के मामला संख्या 3022 में आई. डी. 1 पर बरी कर दिया गया था, को नियुक्त किया गया है। हम आश्वस्त नहीं हैं कि तथ्यों में और

वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया जा सकता है और आपराधिक अभियोजन का सामना करने वाले व्यक्तियों की एक ही चयन प्रक्रिया द्वारा दोनों नियुक्तियां न्यायिक सेवा में होने पर मनमाने ढंग से नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है और

बरी कर दिए गए। उत्तरदाताओं द्वारा यह भेद करने की मांग की गई कि पूर्व नैतिक अधमता के मामले में शामिल नहीं था, हमें आश्वस्त नहीं करता है। जोगिंदर सिंह में [जोगिंदर सिंह बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़), (2015) 2 एस. सी. सी. 377: (2015) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 490], यह निम्नानुसार देखा गयाः (एससीसी पीपी। 383-84 , पैरा 25)

" 25. इसके अलावा, इस आपराधिक मामले के नाम पर एक छोटी सी सेंध के अलावा, जिसमें उसे सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी का पूर्ववृत्त या आचरण इस प्रकार का नहीं था

उसे पद पर नियुक्त करने के लिए चिह्न।

9. वर्तमान कार्यवाही में, 23-3-2018 [मोहम्मद। इमरान बनाम।

महाराष्ट्र राज्य, (2019) 17 एस. सी. सी. 700], इस न्यायालय ने चरित्र सत्यापन की गोपनीय रिपोर्ट मांगी थी।

साथ ही इस तारीख को अपीलार्थी की पूर्ववृत्तियां भी। प्राप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि संदर्भ के तहत आपराधिक मामले को छोड़कर, जिसमें उसे बरी कर दिया गया है, अपीलार्थी का रिकॉर्ड साफ है और उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है जो उसे न्यायिक अधिकारी के पद के लिए एक प्रतिस्पर्धी चयन में अपने शैक्षणिक श्रम के फल से वंचित कर सके। हमारी राय में, हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है कि पूर्ववृत्त और

अपीलार्थी का चरित्र ऐसा है कि वह न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। एक कथित एकल दुस्साहस

या वर्तमान प्रकृति का दुराचार, यदि ऐसा माना जा सकता है, तो अपीलार्थी को नियुक्ति से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब वह अन्य सभी पहलुओं और मापदंडों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो। अवतार सिंह बनाम में इस संबंध में कानून अच्छी तरह से तय किया गया है। भारत संघ [(2016) 8 एस. सी. सी. [2022] 10 एस. सी. आर.

471 (2016) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 425]। यदि सूची में शामिल होने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं बनता है, तो समान रूप से कोई मनमाना इनकार नहीं हो सकता है।

सूची में शामिल किए जाने के बाद नियुक्ति।

10. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार और उसकी अस्वीकृति प्रभावित होती है।

एक मायोपिक दृष्टि से, जो हुआ है उसके दृश्य से धुंधला

नैतिक अधमता के रूप में वर्णित, अपर्याप्त को दर्शाता है

तथ्यों की सराहना और अनुप्रयोग भी, जैसा कि न्याय की मांग हो सकती है।

11. इसलिए, हम वर्तमान मामले को दिनांकित 4-6-2010 आदेश और विवादित आदेश [मोहम्मद] को दरकिनार करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानते हैं।

इमरान बनाम। महाराष्ट्र राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9939] रिट याचिका को खारिज करते हुए, और प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश देता है। इस तरह का नया विचार किया जाए और वर्तमान चर्चा के आलोक में एक उचित निर्णय लिया जाए, अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति और प्रति पेश करने की तारीख से अधिकतम आठ सप्ताह की अवधि के भीतर। वरिष्ठता पर या अन्यथा भविष्य में किसी भी मुकदमे से बचने के लिए, हम ऐसा करते हैं।

स्पष्ट करें कि नियुक्ति की स्थिति में, अपीलार्थी किसी अन्य राहत का हकदार नहीं होगा।

67. इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार था कि यद्यपि वर्तमान समय में रोजगार का अवसर एक दुर्लभ वस्तु है, जो एक सीमित रिक्तियों के भीतर सीमित है, फिर भी राहत देने के लिए सहानुभूति का आह्वान करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है, जहां एक उम्मीदवार की साख योग्यता की परवाह किए बिना उसकी उपयुक्तता के बारे में कोई सवाल उठा सकती है। हालाँकि, साथ ही, इस न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति से इनकार करने के लिए नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या अलंकारिक उच्चारण नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवा सरलीकरणकर्ता जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। न्यायाधीशों के दिमाग में बहने वाला न्यायिक दर्शन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुधार करने, उनसे सीखने के अवसर का हकदार है।

अतीत और आत्म-सुधार के लिए जीवन में आगे बढ़ें। अतीत का आचरण करना, सभी विचारों के बावजूद, हमेशा न्याय नहीं हो सकता है। यह सब दिए गए मामले की तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा। 68. इस न्यायालय द्वारा समय की अवधि में दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर गौर करने का एकमात्र कारण यह है कि इस विषय को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत थोड़े असंगत हैं। अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में वृहद पीठ के फैसले के बाद भी विभिन्न अदालतों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।

सतीश चंद्र यादव बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

69. ऐसी परिस्थितियों में, हमने कानून के व्यापक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ अभ्यास किया, जिन्हें इन पर लागू किया जाना चाहिए - वर्तमान प्रकृति के मुकदमे। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

क) प्रत्येक मामले की संबंधित लोक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से, अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता का विश्वास प्रेरित करने की उनकी क्षमता समाज के लिए एक सुरक्षा कवच है।

सुरक्षा। [राज कुमार (ऊपर) देखें]

ख) ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई और सही घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को स्वतः ही पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यह अभी भी नियोक्ता के लिए खुला रहेगा कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या संबंधित उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है।

ग) गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि से संबंधित भौतिक जानकारी को छिपाने और सत्यापन प्रपत्र में गलत बयान देने का कर्मचारी के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने अपनी योग्यता या उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी या उसे दबा दिया था

पद पर रहते हुए उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

घ) युवाओं, करियर की संभावनाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में सामान्यीकरण जो अपराधियों के आचरण को माफ करने की ओर ले जाता है, न्यायिक फैसले में शामिल नहीं होना चाहिए और होना चाहिए

टाल दिया।

ई) न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या संबंधित प्राधिकरण

जिनके कार्य को चुनौती दी जा रही है, उन्होंने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया।

च) क्या प्राधिकरण के निर्णय में पक्षपात का कोई तत्व है? छ) क्या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी?

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील का दायरा

70. संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री के खिलाफ अपने विवेक से विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है।

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण को छोड़कर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में निर्धारण, सजा या आदेश। यह नीचे लिखा है:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 136. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति।

(1) इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है।

किसी न्यायालय द्वारा पारित या बनाए गए किसी कारण या मामले में या

संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किया गया निर्धारण, सजा या आदेश सशस्त्र बल "।

71. अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता दो भागों में विभाजित हैः पहला चरण विशेष अनुमति या अपील के लिए प्रार्थना के निपटारे तक है और दूसरा चरण शुरू होता है, अगर और कब, अपील करने की अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को विशेष अनुमति याचिका में परिवर्तित किया जाता है।

ओपल। इस न्यायालय द्वारा संक्षेपित कानूनी स्थिति

अयमद वी। केरल राज्य, (2000) 6 एस. सी. सी. 359; ले डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम में पुष्टि की गई। महादेश्वर सहकार सकारे

हेन लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 376, दो चरणों के दायरे के बारे में

निम्नानुसारः

“ (1) अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते समय, न्यायालय से यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या याचिकाकर्ता को ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इस तरह की याचिका की सुनवाई करते समय, न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है; यह केवल अपील करने की अनुमति देने या न देने के लिए अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता अभी भी प्रवेश द्वार के बाहर है, हालांकि वह उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र में प्रवेश करने का इच्छुक है। वह प्रवेश करता है या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करेगा

विशेष अवकाश के लिए उसकी याचिका; (2) यदि अपील करने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी जाती है,

यह न्यायालय द्वारा राय की अभिव्यक्ति है कि के लिए एक मामला

प्रत्यर्थी को नोटिस किए बिना अपील को खारिज कर सकते हैं। (4) अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका के बावजूद आतिश चंद्र यादव बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जिस निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई है, वह पक्षकारों के बीच अंतिम, प्रभावी और बाध्यकारी बना हुआ है। एक बार अपील करने की अनुमति दिए जाने के बाद, निर्णय, डिक्री या आदेश की अंतिमता को खतरे में डाल दिया जाता है, हालांकि यह जारी है। पक्षकारों के बीच बाध्यकारी और प्रभावी जब तक कि यह एक शून्य नहीं है या जब तक कि न्यायालय निर्णय के संचालन या निष्पादन पर रोक लगाने या निलंबित करने का एक विशिष्ट आदेश पारित नहीं कर सकता है।

या चुनौती के तहत आदेश दें।

72. प्रीतम सिंह बनाम। राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 169, इस न्यायालय के संविधान एच ने इस न्यायालय के दायरे और शक्तियों की व्याख्या की है।

संविधान का अनुच्छेद 136 विस्तार सेः

" 9. पूर्ववर्ती अनुच्छेद के साथ अनुच्छेद 136 की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यापक विवेकाधीन

शक्ति जिसके साथ इस न्यायालय को इसके तहत निवेश किया जाता है

इस अनुच्छेद के तहत उसके समक्ष आने वाले मामलों की विस्तृत श्रृंखला में विशेष अनुमति देने में कम-से-कम एक समान मानक अपनाया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो, केवल अपवादात्मक मामलों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद के आधार पर, हम दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में, आयकर मामलों में, विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरणों के समक्ष आने वाले मामलों में और विभिन्न प्रकार के अन्य मामलों में विशेष अनुमति दे सकते हैं। एकमात्र समान मानक जो हमारी राय में परिस्थितियों में निर्धारित किया जा सकता है वह यह है कि न्यायालय को विशेष अनुदान देना चाहिए।

केवल उन मामलों में अपील करने की अनुमति दें जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद दिखाई देती हैं। प्रिवी काउंसिल ने समय-समय पर आपराधिक मामलों में विशेष अनुमति देने के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया है, जिनकी समीक्षा संघीय न्यायालय द्वारा कपिलदेव बनाम में की गई थी। राजा। हमारे उद्देश्य के लिए यह कहना पर्याप्त है कि हालांकि हम उनका बहुत सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि संवैधानिक और प्रशासनिक कारणों, जिन्हें कभी-कभी प्रिवी काउंसिल के साथ जोड़ा जाता है, को हमारे साथ तौलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनमें से कुछ सिद्धांत कई मामलों में विशेष अनुमति देने में इस न्यायालय के विवेक का आह्वान करने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करने के रूप में उपयोगी हैं। सामान्य तौर पर, यह न्यायालय विशेष अनुमति नहीं देगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं, कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और यह कि विचाराधीन मामला निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। चूंकि वर्तमान मामला हमारे [2022] 10 एस. सी. आर. में नहीं है।

उच्च न्यायालय के निर्णय के साथ, और अपील होनी चाहिए खारिज कर दिया गया "।

[जोर दिया गया]

73. हेम राज के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ,

बिजैनगर के देविलाल महाजन, दोषी कैदी, परकेन्द्रीय कारागार में बंद, अजमेर बनाम। अजमेर राज्य, आकाशवाणी

एस. सी. 462, निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

" 2. जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष

ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनमें पर्याप्त और गंभीर अन्याय हुआ है

किया गया और विचाराधीन मामला की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है

अपील किए गए निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता

इसके विरुद्ध, यह न्यायालय अपनी प्रबलित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है

संविधान के अनुच्छेद 136 (1) और परिस्थितियों के तहत

कि क्योंकि अपील को विशेष अनुमति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

उच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है। अंतिम सुनवाई में भी केवल उन्हीं बिंदुओं पर आग्रह किया जा सकता है जिन पर आग्रह किया जाना उचित है।

प्रारंभिक चरण जब अपील करने की अनुमति मांगी जाती है।

विचार के लिए सवाल यह है कि क्या यह परीक्षण संतुष्ट है।

इन दोनों अपीलों में से किसी एक में। विद्वानों को सुनने के बाद दोनों अपीलों में हम संतुष्ट हैं कि उनमें से कोई भी नहीं

नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रश्न को उठाएँ ऊपर "।

[जोर दिया गया]

74. पी. एस. आर. के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ।

अनंतम वी. अरुणाचलम एंड अदर, (1980) 3 एस. सी. सी. 141

संविधान के अनुच्छेद 136 में निम्नानुसार लिखा हैः

" 7. ..... स्पष्ट शब्दों में, अनुच्छेद 136 कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

एक पक्ष पर इस तरह की अपील का लेकिन यह एक व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है

उच्चतम न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति।

विवेकाधीन आयाम काफी है लेकिन यह संबंधित है।

अदालत की शक्ति के लिए। सवाल यह है कि क्या यह वर्तनी द्वारा

निहितार्थ, अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई एक निष्पक्ष प्रक्रिया।

हमारी राय में, ऐसा होता है। अनुच्छेद 136 एक विशेष अधिकार क्षेत्र है। यह है।

अवशिष्ट शक्ति; यह अपने आयाम, अपनी सीमा में असाधारण है, जब यह अन्याय का पीछा करता है, तो आकाश ही है। यह न्यायालय

जहाँ कहीं भी आतिश चंद्र यादव बनाम अन्याय तक पहुँचकर कार्यात्मक रूप से खुद को पूरा करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

यह है और यह शक्ति काफी हद तक अनुच्छेद 136 के सामान्य मामलों में प्राप्त की गई है। क्या यह केवल अदालत में एक शक्ति है जिसका उपयोग किसी भी तरह से किया जाना चाहिए? क्या व्यायाम के तरीके और व्यायाम के अवसर में कोई प्रक्रियात्मक सीमा नहीं है? क्या अनुच्छेद 136 के तहत किसी मामले की सुनवाई करते समय या तो छुट्टी देने के मामले में निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कोई कर्तव्य नहीं है या,

इस तरह के अनुदान के बाद, अपील के अंतिम निपटारे में? हमें शायद ही कोई संदेह है कि यहाँ एक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय में निहित शक्ति में। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। संस्थापक पिताओं ने निर्विवाद रूप से अनुच्छेद 136 के शब्दों में इरादा किया था कि इसका प्रयोग देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों द्वारा हमारे न्यायशास्त्र में पूर्ववर्ती द्वारा अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के ईमानदारी से पालन के साथ किया जाएगा। न्यायिक विवेकाधिकार एक संकीर्ण अधिकार है, न कि मनमाना विलक्षणता। कार्डोजो ने सुरुचिपूर्ण सटीकता के साथ देखा हैः [बेंजामिन कार्डोजोः न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति, येल विश्वविद्यालय प्रेस (1921)]

" न्यायाधीश, भले ही वह स्वतंत्र हो, फिर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे आनंद में नवाचार नहीं करना है। वह एक शूरवीर नहीं है जो सुंदरता या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में अपनी इच्छा से घूम रहा है। उसे पवित्र सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी है। यह असमंजस की भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकने के लिए नहीं है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और सामाजिक जीवन में व्यवस्था की आदिम आवश्यकता के अधीन विवेक का प्रयोग करना है। सभी विवेक में पर्याप्त व्यापक

विवेक का क्षेत्र बचा है "।

8. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 136 समग्र संरचना का है, शक्ति-सह-प्रक्रिया-शक्ति है जिसमें यह सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र निहित करता है, और प्रक्रिया जिसमें यह सुनवाई का एक तरीका बताती है। यह न्यायिक विवेकाधिकार के प्रयोग को बाध्य करता है और

सुनवाई का तरीका अदालत की प्रक्रिया की विशेषता है। संक्षेप में, शक्ति और प्रक्रिया का एक अंतर्निहित प्रिस्क्रिप्शन है

अनुच्छेद 136 के संदर्भ में जो अनुच्छेद 21 की मांग को पूरा करता है।

9. हम इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। यदि अनुच्छेद 21 है

अनुच्छेद 136 में उल्लिखित, निष्कर्ष यह है कि निष्पक्ष प्रक्रिया विशेष अवकाश पर अंकित है जिसे अदालत दे सकती है या अस्वीकार कर सकती है। जब बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किया जाता है, तो यह न्यायालय [2022] 10 एस. सी. आर. की गंभीरता की सराहना करता है।

उस कार्यवाही में शामिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा। यह उचित है।

यह मान लेना कि अनुच्छेद के तहत याचिका पर विचार करते समय

136 अदालत स्वतंत्रता के सवाल पर ध्यान देगी,

व्यक्ति जो न्यायालय से ऐसी अनुमति मांगता है, उसका उद्देश्य और

उनका स्थान और भारी कारक जो उन्हें राजी करते हैं

विशेष अवकाश देने के लिए अदालत। जब इस दृष्टि से

प्रक्रियात्मक परिस्थितियाँ और मानदंड इस पर खेलते हैं

अनुच्छेद 136 के तहत अदालत की अधिकारिता, यह उचित है

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि निष्पक्ष प्रक्रिया की इच्छा में निहित है

अनुच्छेद 21 का पर्याप्त उत्तर दिया गया है।

XXX

XXX

XXX

11. विवेकाधीन शक्ति जितनी व्यापक होगी, उतनी ही अधिक बचेगी।

व्यायाम करें। गिनती से बाहर समय इस न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि हालांकि पक्ष इस अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से "उकसाते हैं",

न्यायालय पक्षपातपूर्ण ढंग से शक्ति का आह्वान करता है। इसके अलावा, अदालत ने

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, उस व्यक्ति को छुट्टी न दें जो

अभिलेख पर किसी पार्टी को नामित नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रक्रियात्मक

सीमाएँ मौजूद हैं और अच्छी तरह से पहने गए नियमों द्वारा शासित हैं

मार्गदर्शन "।

[जोर दिया गया]

75. इस प्रकार, कानून के सिद्धांत जो उपरोक्त से स्पष्ट हैं -

कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं; कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और मामला और प्रश्न पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं जिनके खिलाफ अपील किए गए निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता होती है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 (1) के तहत अपनी प्रबल शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। जिस व्यापक विवेकाधीन शक्ति के साथ इस न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत निवेश किया गया है, वह

इसका प्रयोग संयम से और केवल अपवादात्मक मामलों में किया जाता है।

76. जहाँ तक विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न अपील का संबंध है

(ग) सतीश चंद्र यादव द्वारा दायर 2019 की सं. 20860 का संबंध है, यह विफल हो जाना चाहिए। हम सतीश चंद्र यादव द्वारा प्रतिवादी को यह सूचित करने के लिए सामने रखे गए मामले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं कि सत्यापन प्रपत्र भरने की तारीख को उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था। सतीश चंद्र यादव द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण और कुछ नहीं बल्कि एक आपराधिक मामले के अभियोजन और विचाराधीनता के बारे में उनकी अपनी समझ है। यदि वह जानता है कि मुकदमा आरोप तय करने के साथ शुरू हुआ है, तो हमें यकीन है कि वह जानता है और समझता है कि आपराधिक अभियोजन क्या है।

77. निर्विवाद रूप से, सतीश चंद्र यादव उस समय भी परिवीक्षाधीन थे, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि सतीश चंद्र यादव को सत्यापन में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई थी

फॉर्म. इसलिए, हमारे दिमाग में, यदि किसी जांच से पता चलता है कि दिए गए तथ्य गलत थे, तो इसमें प्रतिवादी अपीलार्थी सतीश चंद्र यादव की सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि इस स्तर पर किसी भी कलंक और दंडात्मक परिणाम का सवाल उत्पन्न नहीं होगा। यह दोहराया जाता है कि अपीलार्थी सतीश चंद्र यादव की सेवाओं को समाप्त करने का कारण उस आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता नहीं है जो उस समय लंबित था और जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था

लेकिन बाद में यह तथ्य कि उन्होंने सत्यापन प्रपत्र भरते समय प्रासंगिक जानकारी को रोक दिया था। कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन या प्रदर्शन किया था जिसने प्रतिवादी के विश्वास को हिला दिया था।

78. प्रशासनिक कानून ने पारंपरिक रूप से विवेकाधीन के रूप में वर्गीकृत निर्णयों की समीक्षा से संपर्क किया है।

कानून के नियमों की व्याख्या शामिल है। नियम यह रहा है कि विवेकाधीन के रूप में वर्गीकृत निर्णयों की समीक्षा केवल सीमित आधारों पर की जा सकती है जैसे कि निर्णय निर्माताओं का बुरा विश्वास, अनुचित उद्देश्य के लिए विवेक का प्रयोग और अप्रासंगिक का उपयोग।

विचार करें। कभी-कभी विवेकाधीन निर्णयों पर "अनुचितता" का एक सामान्य सिद्धांत भी लागू किया गया है। हमारी राय में, ये सिद्धांत दो केंद्रीय विचारों को शामिल करते हैं-वे विवेकाधीन निर्णय, अन्य सभी प्रशासनिक निर्णयों की तरह, वैधानिक नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किए जाने चाहिए, लेकिन निर्णय निर्माताओं को अदालतों द्वारा उस विवेकाधिकार के प्रयोग की समीक्षा करने और निर्णय निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र के दायरे को निर्धारित करने में काफी सम्मान दिया जाएगा। ये सिद्धांत मानते हैं कि प्रशासनिक एजेंसियों को व्यापक विकल्प प्रदान करने वाली सांविधिक भाषा का उपयोग करते समय यह एक विधायिका का इरादा है कि अदालतों को ऐसे निर्णयों में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और निर्णय निर्माताओं को काफी सम्मान देना चाहिए। हालांकि, विवेकाधिकार का प्रयोग अभी भी इस तरीके से किया जाना चाहिए जो कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुसार विधायिका द्वारा विचार किए गए पैंतरेबाज़ी के अंतर की उचित व्याख्या के भीतर हो।

79. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. ने ठीक ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (ऊपर) पर भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि

सत्यापन प्रपत्र में अभियोजन/दोषसिद्धि आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता का उद्देश्य उसके [2022] 10 एस. सी. आर. का आकलन करना था।

रोजगार के उद्देश्य के लिए चरित्र और पूर्ववृत्तियाँ और

81. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सतीश चंद्र यादव द्वारा दायर 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20860 से उत्पन्न अपील विफल हो जाता है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

82. जहाँ तक पुष्पेंद्र कुमार यादव द्वारा दायर 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 5170 से उत्पन्न संबंधित अपील का संबंध है, वही हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क पर भी विफल है। अपीलार्थी पुष्पेंद्र कुमार यादव के मामले में एकमात्र अंतर यह है कि उन्होंने बर्खास्त होने से पहले लगभग चार साल की सेवा दी थी।

83. परिणामस्वरूप, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और खर्च के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती हैं।

84. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)